खण्ड–10, अंक–2
शुक्रवार, 28 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(19 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

470

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2003)

(खण्ड 10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2005

मूल्य :

विषय–सूची

470

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	क
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	1–3
प्रश्नोत्तर	4–58
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव ...	58–61
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	61
वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान (स्वीकृत)	
अनुदान सं0–1 विधान सभा, अनुदान सं0–3 मंत्रिपरिषद्, अनुदान सं0–4 न्याय प्रशासन, अनुदान सं0–5 निर्वाचन, अनुदान सं0–6 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान सं0–7 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान सं0–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान सं0–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान सं0–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान सं0–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान सं0–14 सूचना, अनुदान सं0–15 कल्याण योजनायें, अनुदान सं0–16 श्रम एवं रोजगार, अनुदान सं0–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान सं0–18 सहकारिता, अनुदान सं0–19 ग्राम्य विकास, अनुदान सं0–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान सं0–22 लोक निर्माण कार्य, अनुदान सं0–23 उद्योग, अनुदान सं0–24 परिवहन, अनुदान सं0–25 खाद्य, अनुदान सं0–26 पर्यटन, अनुदान सं0–27 वन, अनुदान सं0–28 पशुपालन	61–69
उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 (पारित)	69–73
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 ... (पारित)	73–74
उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 ... (पारित) ...	74–78
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 ... (पारित) ...	78–79
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	79–80
नत्थियां	81–127

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अनिल नौटियाल
3. डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. श्री काशी सिंह ऐरी
10. श्री किशोर उपाध्याय
11. श्री कैलाश शर्मा
12. श्री कौलदास
13. श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14. श्री गोपाल सिंह राणा
15. श्री गोबिन्द लाल
16. श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17. श्री चन्द्रशेखर
18. श्री जोत सिंह
19. श्री तसलीम अहमद
20. श्री तिलक राज बेहड़
21. श्री तेजपाल सिंह रावत
22. श्री दिनेश अग्रवाल
23. श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. श्री नवप्रभात
25. श्री नारायण दत्त तिवारी
26. श्री नारायण पाल
27. श्री नारायण राम आर्य
28. श्री नारायण सिंह जंतवाल
29. काजी निजामुद्दीन
30. श्री प्रकाश पंत
31. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. डॉ0 प्रताप बिष्ट
33. श्री प्रदीप टम्टा
34. श्री प्रीतम सिंह
35. श्री प्रीतम सिंह पंवार
36. श्री प्रेमानन्द महाजन
37. श्री फूलसिंह बिष्ट
38. श्री बलबीर सिंह नेगी
39. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
40. श्री बिशन सिंह चुफाल
41. श्री भगत सिंह कोश्यारी
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
44. श्री महेन्द्र भट्ट
45. श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
46. श्री मातबर सिंह कण्डारी
47. श्री मालचन्द
48. चौ0 यशवीर सिंह
49. श्री रणजीत सिंह
50. श्री रसौल वैलेन्टाइन गार्डनर
51. श्री राम प्रसाद टम्टा
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
54. श्री शूरवीर सिंह
55. डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56. श्री सहजाद
57. श्री साधू राम
58. श्री सुबोध उनियाल
59. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
60. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
61. श्री सुरेश चंद जैन
62. श्री हरबंस कपूर
63. श्री हरभजन सिंह चीमा
64. श्री हरिदास
65. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66. श्री हीरा सिंह बिष्ट
67. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाये जाने का प्रयास

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियम 311 में भू–अध्यादेश के लिए जो

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, कई गम्भीर मामले हैं। सी0बी0आई0 के छापे ने साबित कर दिया है कि दरोगा भर्ती में धांधलेबाजी हुई है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, किस नियम के अन्तर्गत यह मामला सदन में उठाया जा रहा है?

(घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, राजाजी नेशनल पार्क में हजारों पेड़ काटे गए हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल आपका है, प्रश्न काल होने दें, प्रश्न काल के बाद सुन लूंगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हजारों पेड़ काटकर पट्टे आवंटित कर दिए गए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए पहले नोटिस देनी चाहिए थी।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण तथा भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन कौशिक एवं श्री सुरेश चन्द जैन "वेल" में आकर नारे लगाने लगे– "भू–अध्यादेश वापस लो–वापस लो, काला कानून वापस लो–वापस लो"।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(उत्तराखण्ड क्रांति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे–"भू–अध्यादेश को सख्ती से लागू करो"।)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के तहत अपनी बात रखें, मैं उसे अवश्य सुनूंगा।

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपका सदन व्यवस्थित हो इसलिए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल आपका है, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात सुन लूँगा, लेकिन माननीय सदस्य "वेल" से तो जायें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने सारे विधेयक और अध्यादेश व्यवधान के बीच ही पास किए हैं, इनको भी वापस ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन सदन अपने हिसाब से ही चलेगा।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह भू–अध्यादेश जो आपके सामने आया है, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह दें कि हम इसको प्रवर समिति को दे रहे हैं तो मैं मान जाऊँगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक सोमवार को आ रहा है तब आप अपनी बात रखिएगा।

(घोर व्यवधान के बीच)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, [****]

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनूँगा, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 6 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 11.30 बजे मार्शल विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 11.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।)

(सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

(श्री मातबर सिंह कण्डारी, माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण "वेल" में पहुँचकर नारेबाजी करने लगे : काला कानून वापस लो–वापस लो, भू–अध्यादेश वापस लो–वापस लो। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे : भू–अध्यादेश को सख्ती से लागू करो।)

(घोर व्यवधान)

कृपया आसन ग्रहण करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि पहले प्रश्नकाल होने दें। सोमवार को यह विधेयक सदन में आ रहा है, तब आप इस विधेयक पर चर्चा कर सकेंगे। अभी प्रश्नकाल चलने दें। (घोर व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी सीटेड। (घोर व्यवधान)

("वेल" में मौजूद माननीय सदस्यों के अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने पर विधान सभा के रक्षकों ने रिपोर्टर्स टेबिल के आगे सुरक्षा घेरा बनाया)

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें और अपना आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

("वेल" में खड़े भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे।)

(घोर व्यवधान)

सोमवार को यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हो रहा है, उस दिन आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपनी सीट से उठकर भारतीय जनता पार्टी की लॉबी के पीछे खड़े होकर नारे लगाने लगे – "भू–अध्यादेश लागू करो, भू–अध्यादेश सख्ती से लागू करो।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही को 01.00 बजे तक स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के पर्यटक आवास गृहों का निजीकरण

*1-श्री अजय भट्ट-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल के पर्यटक आवास गृहों को सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने पर्यटक आवास गृह चिन्हित किये गये हैं तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? क्या सरकार इनके भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)-

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों के सुधार एवं विकास के लिये निजी पूंजी निवेश प्राप्त करने एवं इन आवास गृहों को पर्यटकों के लिये और अधिक आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ कन्सल्टेंट संस्था इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से एक अध्ययन कराया गया है। अध्ययन की आख्या प्राप्त हो चुकी है। अभी इस अध्ययन की संस्तुतियों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ियों को चलाने की 10 वर्ष की समय सीमा पर पुनर्विचार

*1-नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी
एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ियों को चलाने की समय सीमा 10 वर्ष कर दी गयी है?

क्या यह सही है कि इस प्रक्रिया से गाड़ी मालिकों के समक्ष आर्थिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होने की संभावना है?

नोट- उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समय सीमा पर पुनर्विचार करेगी?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल ने रिट याचिका संख्या 415(एम0बी0)/2003 में अपने निर्णय दिनांक 30–07–2003 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में संचालित वाहनों की आयु सीमा 10 वर्ष कर दी गई थी।

जी नहीं, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 415(एम0बी0)/2003 हर्षवर्धन शाह बनाम राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30–07–2003 की मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 14–11–2003 द्वारा स्थगित कर दिया गया है, अतः गाड़ी मालिकों के समक्ष आर्थिक कठिनाईयों के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना

*2–श्री प्रकाश पन्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना की मांग जनता लम्बे समय से करती आ रही है तथा उसे अविभाजित उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित भी किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या सरकार बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2003–04 में दिये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

जी नहीं।

जनपद पिथौरागढ़ के जिला चिकित्सालय में सर्जरी, बालरोग विशेषज्ञ, आर्थोपैडिक, नेत्र, ई0एन0टी0, दन्त, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक फिजिशियन, एनेस्थेटिक, रेडियोलॉजी, महिला विशेषज्ञ, आकस्मिक सेवायें, रोगी वाहन, चर्मरोग आदि सभी विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः बेस चिकित्सालय खोलने का कोई अलग से औचित्य नहीं है।

*3–काजी निजामुद्दीन–

(द्वितीय मंगल के तारा0 प्र0 06 में स्था0)

हरिद्वार शहर के लक्सर रोड़ पर स्थित शराब की दुकानों को हटाने पर विचार

*4–श्री मदन कौशिक–

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार शहर के लक्सर रोड पर शराब की दुकानें बस्ती और विद्यालयों के बीच में हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में तत्काल बस्ती/स्कूलों के मध्य पड़ने वाली शराब की दुकानों को हटाये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद हरिद्वार शहर के लक्सर रोड पर शराब की दुकानें बस्ती एवं विद्यालय से पर्याप्त दूरी पर स्थित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

*5–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

(16–12–2003 को तारा0 प्र0 10 द्वारा उत्तरित)

सार्वजनिक समागम के स्थान तथा यात्रा मार्ग पर अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने के मानक

*6–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ धामों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर अवस्थित कस्बों/शहरों में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोले जाने के क्या मानक निर्धारित किए गए हैं?

क्या उन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

आबकारी नियमों की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक समागम के स्थान के बिल्कुल निकट किसी नई दुकान के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी तथा वर्ष 2002–03 की आबकारी नीति में यात्रा मार्ग के मुख्य मार्ग पर मदिरा की कोई नई दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया गया है, जो वर्ष 2003–04 की आबकारी नीति में भी यथावत् लागू है।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2003 में टिहरी में वायरल फीवर की जांच एवं उसकी रिपोर्ट

*7—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 में जनपद टिहरी गढ़वाल में वायरल फीवर की जांच हेतु रक्त एवं गले के स्त्राव के नमूने जांच हेतु "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान", नई दिल्ली को भेजे गये थे?

यदि हाँ, तो क्या उक्त संस्थान से जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उस रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हां।

जी हां।

जांच रिपोर्ट संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

[रिपोर्ट देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0 81—90 पर]

परिवहन निगम का गठन एवं स्वरूप

*8—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार परिवहन निगम का गठन करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक परिवहन निगम का गठन कर लिया जायेगा और उसका स्वरूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 657/परि0/2002—598 (परि0)/2003, दिनांक 31—10—2003 द्वारा उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन किया जा चुका है और उसका स्वरूप द्विस्तरीय रखा जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के उपाय एवं जांच के लिए सक्षम अधिकारियों का विवरण

*9—श्री अजय भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

क्या अपमिश्रण संबंधी खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में सक्षम अधिकारियों की पर्याप्त संख्या है?

यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार द्वारा मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी/वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी/ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी, छावनी बोर्ड एवं मण्डलीय रेलवे चिकित्साधिकारियों के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित कर दिये गये हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (अधिसूचना संख्या 37, सन् 1954) की धारा 2 के खण्ड (VI) के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल राज्य के उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उत्तरांचल राज्य के खाद्य श्रेणी के लोक विश्लेषक हेतु खाद्य प्रयोगशाला सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ, खाद्य प्रयोगशाला, एल0एल0आर0, मेडिकल कॉलेज, मेरठ एवं केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पूना को अधिकृत किया गया है। भारत सरकार के सहयोग से रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में खाद्य प्रयोगशाला के निर्माण एवं स्थापना हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में खाद्य निरीक्षकों की उत्तरांचल राज्य में कमी है क्योंकि 149 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 26 पदों पर ही खाद्य निरीक्षक तैनात हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

प्रदेश में अल्ट्रा साउण्ड द्वारा भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबन्ध

*10—श्री हरबंस कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि अल्ट्रा साउण्ड द्वारा भ्रूण परीक्षण के कारण प्रदेश में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की जनसंख्या में कमी आ रही है। यदि हाँ, तो क्या अल्ट्रा साउण्ड द्वारा भ्रूण परीक्षण पर प्रतिबन्ध को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं। उत्तरांचल राज्य में सिविल रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा जनपदों से सूचना मंगाई जा रही है। महिला चिकित्सालय, देहरादून में हुए प्रसवों के आधार पर गत वर्ष 2002 में 1590 मेल बच्चे तथा 1553 फीमेल बच्चों के प्रसव हुए तथा इस वर्ष 2003 (16 दिसम्बर तक) 1494 पुरुष बच्चों तथा 2019 महिला बच्चे पैदा हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट के कुल सचिव के विरुद्ध कथित अनियमितताएं

1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट के कुल सचिव के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय व अन्य अनियमितताओं के आरोपों के विरुद्ध जांच चल रही है?

यदि हाँ, तो उक्त जांच किस अधिकारी के स्तर से की जा रही है तथा जांच में कितना समय व्यतीत हो चुका है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के कुल सचिव के विरुद्ध जांच पूर्ण कर ली गयी है।

सक्षम स्तर से जांच पूर्ण कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में बालक/बालिकाओं का जन्मदर अनुपात एवं भ्रूण हत्याओं को रोकने के उपाय

2–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बालक/बालिकाओं का जन्मदर का अनुपात क्या है?

क्या सरकार प्रदेश में भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाकर उसे लागू करवाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सम्भावित (0–6 वर्ष) तक के बच्चों में बालिकाओं के जन्मदर का अनुपात प्रति हजार बालक निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	जनपद	प्रति हजार बालक
1.	अल्मोड़ा	926
2.	बागेश्वर	939
3.	चमोली	935
4.	चम्पावत	946
5.	देहरादून	903
6.	पौढ़ी	926
7.	हरिद्वार	852
8.	नैनीताल	908
9.	पिथौरागढ	901
10.	रुद्रप्रयाग	924
11.	टिहरी	931
12.	ऊधमसिंह नगर	912
13.	उत्तरकाशी	945

भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा बनाये गये प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (विनियमन दुरुप्रयोग निवारण) अधिनियम, 1994 राज्य में लागू है।

इसे और अधिक प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर समुचित प्राधिकारी तथा सलाहकार समितियों का गठन कर दिया गया है तथा प्रचार–प्रसार के माध्यम से भी जनता को जागरुक किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डिस्टिलरी खोलने हेतु आवेदन एवं स्वीकृति

1–श्री मदन कौशिक–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अभी तक डिस्टिलरी खोलने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं?

क्या सरकार ने कोई डिस्टिलरी खोलने की स्वीकृति दी है?

यदि हाँ, तो कहाँ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

प्रदेश में डिस्टिलरी खोलने हेतु पांच तथा इथनॉल प्लान्ट की स्थापना हेतु छः आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियाँ

4–श्री मदन कौशिक एवं डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में कुल कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है?

प्रदेश में इस समय कितने पद रिक्त हैं?

इन्हें भरने के लिए कब तक नियुक्तियां कर ली जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

इस वर्ष प्रदेश में कुल 330 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर की गयी है।

प्रदेश में वर्तमान समय में 473 चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं।

200 चिकित्सकों को संविदा के आधार पर तैनाती के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा 515 चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति

5–श्रीमती आशा देवी–

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राज0 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित बेरोजगार फार्मासिस्टों की आयु में छूट देकर नियुक्ति प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक नियुक्ति दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की सामान्य नीति के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तथा आरक्षित श्रेणी के लिए इससे 05 वर्ष अधिक निर्धारित की गयी है। इससे अधिक करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ का उच्चीकरण

6—श्रीमती आशा देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु 80,000 की जनसंख्या का मानक निर्धारित है। जनपद रुद्रप्रयाग की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 1,44,168 के सापेक्ष पूर्व से ही दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अगस्तमुनी तथा जखोली में स्थापित हैं। अतः उच्चीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

जनपद रुद्रप्रयाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऊखीमठ का भवन निर्माण

7—श्रीमती आशा देवी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऊखीमठ के भवन निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

यदि हाँ, तो कब तक यह भवन निर्माण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत राजकीय औ0 प्रशिक्षण संस्थान, ऊखीमठ के भवन निर्माण हेतु भूमि वन विभाग से प्राप्त किये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने पर ही भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट एवं जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी में रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

8—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट एवं गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पौड़ी में प्रधानाचार्य, आचार्य, सहायक आचार्य, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता सहित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट में कुल 32 पद रिक्त हैं तथा जी०बी० पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में कुल 27 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथासम्भव।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने की योजना

9—श्री मदन कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उत्तरांचल सरकार ने अपनी "समेकित स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति, 2002" बनाई है। राज्य के जनसामान्य के स्वास्थ्य में सुधार एवं जनसंख्या नीति में परिलक्षित उद्देश्य विस्तृत नीति निर्देशन के समावेश विद्यमान हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के नीतिगत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप उत्तरांचल राज्य की "स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति" में जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:—

- सकल प्रजनन दर को इसके वर्तमान स्तर 3.3 से 2006 तक 2.6 तक तथा 2010 तक 2.1 तक लाना।

- अशोधित जन्म दर को इसके वर्ष 2001 के स्तर (26.0) से कम कर 2006 तक 22.6 तक तथा 2010 तक 19.9 तक लाना है।
- आधुनिक गर्भनिरोधकों की उपयोगिता दर को इसके वर्तमान स्तर (40 प्रतिशत) से बढ़ाकर 2006 तक 49 प्रतिशत तथा 2010 तक 55 प्रतिशत के स्तर पर लाना है।
- शिशु मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर (1000 जीवित जन्म पर 50) से कम करते हुए वर्ष 2006 तक 40 तथा 2010 तक 28 के स्तर पर लाना।
- मातृ मृत्यु दर को इसके वर्तमान स्तर से कम कर वर्ष 2006 तक 250 प्रति लाख तक तथा वर्ष 2010 तक 100 से भी नीचे लाना।

जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सकल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) की अहम भूमिका होती है इसके साथ–साथ शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर0) तथा मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0) को कम करके सकल प्रजनन दर, पुनः विवाह एवं अधिक बच्चों की चाहत कम होती है। जिस हेतु निम्न व्यवस्था/कार्यवाही की जा रही है :–

परिवार कल्याण सुविधाओं की उपलब्धता की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार ब्लाक स्तर पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों फिक्स डे एप्रोच (निश्चित दिवस) के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच सेशनों के माध्यम से परिवार कल्याण संबंधी सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

कानूनन विवाह योग्य आयु में ही लड़के–लड़की की शादी एवं देर से बच्चा को बढ़ावा, दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अन्तर हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए–

गर्भवती माताओं का शत प्रतिशत पंजीकरण करने पर बल दिया जा रहा है, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु जटिल गर्भवती महिलाओं के संदर्भण हेतु– व्यवस्था तथा 24 घण्टे प्रसव सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही कराया जाय इसके लिए अप्रशिक्षित शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु–

1. बच्चों को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर फिक्स डे एप्रोच (निश्चित दिवस) के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच सेशनों के माध्यम से टीकाकरण कार्य किया जा रहा है।
2. बच्चों में श्वसन तंत्र के संक्रमण (ए0आर0आई0) से बचाव हेतु ए0एन0एम0 स्तर तक उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है।

शहरी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल के 3 शहरों देहरादून, हरिद्वार एवं हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना चलाई जानी प्रस्तावित है प्रथम चरण में दिनांक 9 नवम्बर, 2003 से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों से चलायी जा रही है इसमें परिवार कल्याण संबंधी एवं मातृ शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान की जायेगी।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जन जागरण, व्यापक प्रचार–प्रसार तथा एन0जी0ओ0 (गैर सरकारी संगठनों) तथा पी0आर0आई0 की सहभागिता प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल युद्ध एवं उसके बाद शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याणार्थ योजना

10–श्री मदन कौशिक–

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कारगिल युद्ध एवं उसके बाद देश की रक्षा करते हुए शहीद एवं घायल हुए प्रदेश के सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई दीर्घकालीन योजना बनायी गई है।

यदि हाँ, तो योजना का प्रारूप क्या है।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

योजना निम्नानुसार है :–

1. कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की आश्रित पत्नियों को रु0 5000 प्रति माह तथा माता–पिता को रु0 2500 प्रति माह की दर से पेंशन दी जा रही है।
2. कारगिल युद्ध में शहीद/घायल सेवानिवृत्त सैनिकों के आश्रित बच्चों को शिक्षा हेतु कक्षा 8 तक रु0 100, कक्षा 12 तक रु0 200 तथा स्नातक में अध्ययनरत बच्चों को रु0 300 प्रतिमाह दिया जा रहा है।
3. विकलांग कल्याण विभाग द्वारा दुकान योजना के अन्तर्गत विकलांग सैनिकों को स्वरोजगार हेतु रु0 30,000 की अतिरिक्त धनराशि, कार्यशील पूँजी के रूप में प्रदान की जाती है।
4. कारगिल युद्ध में विकलांग सैनिकों को अन्य युद्धों में घायल/विकलांग सैनिकों एवं उनके आश्रितों की भाँति राज्य सरकार से अन्य सुविधायें व आर्थिक अनुदान भी देय हैं।
5. पूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों/विकलांग सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल/अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में स्थापित किये गये हैं।
6. युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रित पुत्रियों को स्वरोजगार हेतु जनपद मुख्यालय पौड़ी में सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है।
7. भारत सरकार द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की आश्रित पत्नियों को पेट्रोल पम्प एवं एल0पी0जी0 गैस एजेन्सियाँ आवंटित की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में स्थापित पर्यटन कार्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति

11–श्री प्रकाश पंत–

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के कितने जनपदों में पर्यटन कार्यालय स्थापित हैं तथा उनमें कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के पदों की रिक्तियों की अद्यतन स्थिति क्या है?

रिक्त पदों को भरने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो क्या तथा कब तक पद भर दिये जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के गठन के उपरान्त प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में जनपद स्तरीय पर्यटन कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। इन कार्यालयों में रिक्तियों की संख्या संक्षेप में निम्नानुसार है :–

श्रेणी	स्वी0 पद	भरे पद	रिक्त पद
समूह–क	2	1	1
समूह–ख	11	3	8
समूह–ग	67	41	26
समूह–घ	13	13	–

पूर्व के पर्यटन निदेशालय (पर्वतीय) को समाप्त कर उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है। अब परिषद् की सेवा नियमावलियां प्रख्यापित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इन सेवा नियमावलियों के अनुरूप ही रिक्तियों को भरने की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। जिन रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य स्रोतों से भरा जा सकता है, उनके सम्बन्ध में अलग से परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर में सुलभ शौचालय का निर्माण

12–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1995–96 में डीडीहाट नगर जनपद पिथौरागढ़ में सुलभ शौचालय का निर्माण किया गया था तथा क्या इस शौचालय को उपयोग में लाया जा रहा है।

यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत--

वर्ष 1995--1996 में पर्यटन विभाग द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में डीडीहाट नगर में किसी भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 डी0 पाण्डेय जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में हृदय रोग एवं अस्थि रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति

13--श्री प्रकाश पंत--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि बी0डी0 पाण्डेय जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में विगत लम्बे समय से हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ कार्यरत नहीं हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में उपरिवर्णित दोनों विशेषज्ञों की नियमित नियुक्ति जनहित में किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़--

बी0डी0 पाण्डेय, पुरुष जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर डा0 खडायत कार्यरत हैं, जो डी0 आर्थ की अर्हता रखते हैं तथा हृदय रोग विशेषज्ञ का पद विगत दो वर्षों से रिक्त चल रहा है।

हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

बी0 डी0 पाण्डेय जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में अल्ट्रा साउण्ड मशीन की सुविधा

14--श्री प्रकाश पंत--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि पिथौरागढ़ के बी0डी0 पाण्डेय जिला चिकित्सालय में एक मात्र अल्ट्रा साउण्ड मशीन खराब हो गयी है?

यदि हाँ, तो क्या क्षेत्रीय जनता को अल्ट्रा साउण्ड की सुविधा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जी हाँ।

उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट द्वारा अल्ट्रा साउण्ड मशीन क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय प्राविधिक संस्थानों में सेवारत अतिथि व्याख्याताओं को वेतनमान व अन्य सुविधायें

15–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राविधिक संस्थानों में सेवारत अतिथि व्याख्याताओं को वेतनमान व अन्य सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि अतिथि व्याख्याता नितान्त अस्थायी रूप से संविदा पर प्रतिवादन निर्धारित मानदेय पर रखे गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कार्यरत डाक्टरों की संख्या

16–श्री नारायण राम आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा इनमें कितने डाक्टर कार्यरत हैं?

रिक्त पदों पर कब तैनाती कर दी जाएगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में 01 सा0 स्वा0 केन्द्र गंगोलीहाट तथा 03 अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र क्रमशः ग्वासीकोट, मणाई गंगोली तथा चौरपाल स्थापित हैं, निम्न विवरणानुसार डाक्टर कार्यरत हैं :–

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सा0 स्वा0 केन्द्र, गंगोलीहाट	09	04	05
प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ग्वालीकोट	01	—	01
प्रा0 स्वा0 केन्द्र, पणाई गंगोली	01	01	—
प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चौरपाल	01	01	संविदा पर।

उत्तरांचल राज्य में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञों की तैनाती की जायेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ का उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम के अन्तर्गत चयन

17—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के सीमान्त क्षेत्र जोशीमठ की जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ को उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम के तहत चयनित किया गया है।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

विश्व बैंक द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही स्थलों का चयन कर लिया गया था।

कृषि विभाग के पुनर्गठित ढांचे में सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन

18—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विभाग के स्वीकृत पुनर्गठित ढांचे में विभाग के सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन किया गया है? यदि हाँ, तो इनकी तैनाती कब तक की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)—

कृषि विभाग के आपूर्ति योजना में 54 कनिष्ठ सहायक एवं 137 कामदार सरप्लस थे, जिनमें से विभागीय पुनर्गठन का आदेश निर्गत होने के पश्चात् 54 कनिष्ठ सहायकों को विभाग में ही समायोजित किया जा चुका है, जिनकी तैनाती आदेश प0 सं0 1901/स्था0 पुर्न0/2003—04, दिनांक 10—9—2003 के द्वारा जारी किये गये हैं।

2—कृषि विभाग आपूर्ति योजना में 137 सरप्लस कामदारों में से 24 कामदार विभाग में समायोजित किये जा चुके हैं, शेष 113 कामदारों के पद रिक्त न होने के कारण इनका समायोजन विभाग में नहीं हो पाया है। जब तक इन 113 कामदारों का अन्यत्र समायोजन नहीं हो जाता है, तब तक ये विभाग के ही कर्मचारी माने गये हैं तथा इन्हें विभाग से ही वेतन भुगतान किया जा रहा है।

देहरादून स्थित सौंग नदी पर गूलरघाटी में पर्यटक स्थल विकसित करने की योजना

19—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद देहरादून स्थित सौंग नदी पर गूलरघाटी में पर्यटक स्थल विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या होगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी नहीं।

इस योजना का कोई भी प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद टिहरी में चारधाम पद यात्रा मार्गों पर पर्यटन विकास

20—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चारधाम पद यात्रा मार्गों पर बेलक, झल्ला, बूढ़ाकेदार, बिनकखाल, कल्दी, हटकुणी, घुत्तु, दौसांद और पंवालीकाण्ठ को भी चारधाम यात्रा मार्ग के लिये चिन्हित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन स्थानों को पर्यटन विकास से जोड़ने का प्रयास करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम के सुनियोजित विकास की दृष्टि से एक मास्टर प्लान तैयार कराया गया है, जिसमें चारधाम क्षेत्र में पड़ने वाले यात्रा मार्गों के अतिरिक्त मार्गीय कस्बों के समेकित विकास को भी सम्मिलित किया गया है। पदयात्रा मार्गों के लिये अलग से ट्रैकिंग मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है। इस मास्टर प्लान की संस्तुतियों के आधार पर ही महत्वपूर्ण पैदल यात्रा मार्गों को सुनियोजित विकास के लिये कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में झोलाछाप डाक्टरों का चिन्हीकरण

21—श्री बलबीर सिंह नेगी
एवं श्री अरविन्द पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने अब तक कितने झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित किया है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उत्तरांचल में झोलाछाप डाक्टरों को चिन्हित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री तिलक राज बेहड़—

राज्य सरकार द्वारा अब तक 589 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है जो राज्य में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं न रखते हुए चिकित्सा कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में पर्यटन विकास हेतु चयनित गांवों का विकास

22—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में पर्यटन विकास हेतु चयनित किये गये गांवों में पर्यटन विकास की क्या कार्यवाही की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जनपद चमोली में सीमान्त ग्राम माणा को पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किये जाने हेतु एक योजना भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु भेजी जा चुकी है। इस पर भारत सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण

23—श्री माल चन्द्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नामक स्थान में रोडवेज बस अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि का निरीक्षण कर लिया गया था। इस भूमि

की कुल कीमत धनराशि रुपये 9,06,500/- जिलाधिकारी उत्तरकाशी को हस्तगत कराकर रजिस्ट्री की कार्यवाही गतिशील थी तथा परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ से धनराशि भी प्राप्त हो गई थी किन्तु अपरिहार्य कारणों से बस स्टेशन हेतु भूमि क्रय नहीं की जा सकी तथा निगम मुख्यालय लखनऊ से जो उक्त धनराशि भूमि क्रय हेतु प्राप्त हुई थी वह राशि वर्ष 1999 में वापस मंगा ली गई थी। जिसके कारण भूमि क्रय के संबंध में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी।

वर्तमान में उत्तरांचल परिवहन निगम दिनांक 31-10-2003 से अस्तित्व में आ गया है लेकिन संसाधनों की कमी होने के कारण अभी पुरोला में बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी में केदारकांठा, देववन, हरकीदून, सरुताल, पोस्टारा आदि पर्यटक स्थलों पर यातायात सुविधा

24-श्री माल चन्द्र-

क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत केदारकांठा, देववन, हरकीदून, सरुताल, बालया, चांगसील, ब्राडसर, पोस्टारा आदि कई पर्यटक स्थल हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्यटन के दृष्टिकोण से उक्त स्थानों पर यातायात की सुविधा मुहैया करायेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

जी हाँ, ये अल्प विकसित ट्रैक मार्ग पर्यटक स्थल हैं।

जी हाँ, वर्तमान में उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन हो चुका है और परिवहन निगम की देहरादून-हनुमानचट्टी मार्ग पर एक सेवा संचालित है यदि किसी पर्यटक को हरकीदून, बालया व केदारकांठा जाना हो तो वह परिवहन निगम की उक्त सेवा से नौगांव नामक स्थान तक यात्रा करता है, आगे की यात्रा उसे निजी वाहन टैक्सी इत्यादि से करनी होती है, जिसमें कुछ मार्ग पैदल का भी सम्मिलित है।

इसी प्रकार जिन पर्यटकों/यात्रियों को सरुताल, चांगसील, ब्राडसर, पोस्टारा, देववन जाना है, वह यात्री/पर्यटक उत्तरांचल परिवहन निगम की देहरादून-मनेरी, हरिद्वार-उत्तरकाशी-मनेरी सेवा का प्रयोग करते हैं और आगे का सफर वह अन्य साधनों बस, टैक्सी, पैदल मार्ग से जाते हैं।

व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने की नीति

25-श्री मातबर सिंह कण्डारी-

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने की सरकार ने कोई नीति बनाई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उसके प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

उत्तरांचल कृषि नीति, 2001 में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने की व्यवस्था है।

चूँकि, कृषि नीति, 2001 प्रख्यापित की जा चुकी है, अतः प्रारूप को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के पर्यटक स्थल दयारा बुग्याल की सर्वेक्षण रिपोर्ट

26–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन स्थल 'दयारा' का पर्यटन विभाग ने वर्ष 1996–97 में राईट्स कम्पनी द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया था।

यदि हाँ, तो उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है? क्या उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्ष 1995–1996 में 'दयारा बुग्याल' के पर्यटन विकास हेतु प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई गई थी।

इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में 'दयारा बुग्याल' की सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त वहां पर एक शीत क्रीड़ा केन्द्र बनाये जाने हेतु संस्तुति करते हुए इसके लिये अवस्थापना सुविधाओं, आवासीय सुविधाओं व शीतखेलों के उपकरणों आदि के क्रय के सम्बन्ध में संस्तुतियां की गई हैं। यह रिपोर्ट सार्वजनिक है एवं उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के पटेलनगर, देहरादून स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल क्षेत्र को स्कीईंग रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने की कार्य योजना

27–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित दयारा बुग्याल क्षेत्र को स्कीईंग रिसॉर्ट के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है?

उक्त योजना पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है तथा योजना का बेस कैम्प स्थल कहां बनाया जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में इस मद में रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

दयारा बुग्याल को स्कीईंग–रिसॉर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मास्टर प्लान तैयार कराया जा चुका है, जिसके आधार पर पूंजी निवेश प्राप्त करने हेतु एक विज्ञापन भी राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में जारी किया जा चुका है। इस विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त निवेशकों के प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय हो जाने के उपरांत ही आवश्यकतानुसार बेस कैम्प एवं योजना के अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरकाशी के ग्राम खण्ड पट्टी गमटी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रिक्त चिकित्सक के पद पर नियुक्ति

28–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्याली सौड़ अन्तर्गत ग्राम खण्ड पट्टी गमटी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है?

यदि हाँ, तो जनहित में कब तक उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी के पीपल मण्डी निवासी प्रहलाद सिंह को विदेशी शराब के परमिट का आवंटन

29–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के एफ0एल0–5 चिन्यालीसौड़ में वर्ष 2002–03 में प्रहलाद सिंह पुत्र श्याम चन्द, निवासी पीपलमंडी, चिन्यालीसौड़ का प्रपत्र विदेशी शराब 38 बनाया गया है?

क्या प्रहलाद सिंह बालिग है?

यदि नहीं, तो परमिट जारी करने वाले आबकारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलकंठ महादेव के विस्तारीकरण की योजना

30—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण नीलकण्ठ महादेव के विस्तारीकरण की रूपरेखा तैयार की जा रही है? यदि हाँ, तो उक्त स्थल का विस्तारीकरण कब तक पूर्ण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी नहीं। जनपद पौड़ी गढ़वाल स्थित नीलकंठ महादेव के विस्तारीकरण की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पर्यटन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त प्रधानाचार्यों तथा अनुदेशकों के पदों पर नियुक्ति

31—श्री कैलाश शर्मा

एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य तथा अनुदेशकों के कितने पद रिक्त हैं?

क्या इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सरकार व्यवस्था कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्यों के 45 तथा अनुदेशकों के 365 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रधानाचार्यों के सीधी भर्ती के पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं, इस हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। जहाँ तक अनुदेशकों के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में 240 अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 07—10—2002 को विज्ञापन समाचार—पत्रों में दिया गया था, इस विज्ञप्ति के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में 06 रिट याचिकायें दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा 04 रिटों में स्थगनादेश दिये गये, बाद में मा0 न्यायालय ने यह 06 रिटें एक साथ बंच कर दी गयी और सुनवाई के पश्चात् 04 रिटों में स्टे बैकेट कर दिया गया, परन्तु संलग्न 02 रिटों में कोई आदेश पारित नहीं किया गया, इन 02 रिटों में अभी निर्णय होना शेष है, जिसके लिये एक्सपिडाईट एप्लिकेशन लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में बसों की आयु सीमा घटने के कारण लिंक मोटर मार्गों पर बसों की संचालन व्यवस्था

32--श्री प्रीतम सिंह पंवार--

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में संचालित बसों की आयु सीमा घटाने से लिंक मोटर मार्ग पर बसों की भारी कमी हो गयी है?

क्या यह सत्य है कि यात्रियों को टैक्सी/कमाण्डरों पर दुगुना धनराशि का भुगतान करने के साथ-साथ निर्धारित मानकों से अधिक सवारियाँ टैक्सी/कमाण्डरों द्वारा बिठायी जा रही हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार लिंक मोटर मार्गों पर बसों के संचालन के लिए व्यवस्था कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

रिट याचिका संख्या 415 (एस0/बी0)/2003 हर्षवर्धन शाह बनाम अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 30-07-2003 द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों की आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित करने के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य के पर्वतीय मार्गों पर संचालित लगभग 2026 बसों में से 728 का संचालन बंद हो गया था किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14-11-2003 द्वारा स्थगनादेश प्रदान कर दिया है। फलस्वरूप उक्त वाहनों का पुनः संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है परन्तु जहाँ पर ओवरलोडिंग के प्रकरण सामने आते हैं, वहाँ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

33--श्रीमती आशा देवी--

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक स्थापित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में पूर्व से ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, चिरबटिया संचालित हैं।

स्वरोजगार एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का निर्धारण

34—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सम्पूर्ण स्वरोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को सरकार ने दैनिक मजदूरी की क्या दर निर्धारित की है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं। सम्पूर्ण स्वरोजगार योजना तथा जवाहर रोजगार योजना न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित नियोजन घोषित न होने के कारण श्रम विभाग द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है, किन्तु ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए रु0 58/— प्रति दिन के दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

रुद्रप्रयाग के देवरियाताल के सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु धन का आवंटन

35—श्रीमती आशा देवी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवरियाताल के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिए वर्ष 2003—2004 के लिए कुल कितना धन आवंटित व स्वीकृत किया गया तथा सौन्दर्यीकरण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

वित्तीय वर्ष 2003—2004 में जनपद रुद्रप्रयाग स्थित देवरियाताल के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के लिये कोई भी धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

देवरियाताल के सम्बन्ध में एक योजना/आगणन प्रस्तुत किये जाने हेतु जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है। योजना/प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

अल्मोड़ा के शीतलाखेत एवं कसारदेवी पर्यटक स्थलों को पर्यटक ग्राम घोषित करने पर विचार

36—श्री कैलाश शर्मा—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के वि0ख0 लमगड़ा के जलना क्षेत्र तथा हवालबाग वि0ख0 के शीतलाखेत एवं कसारदेवी पर्यटक स्थलों को पर्यटक ग्राम घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

पर्यटन ग्रामों के विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2003—2004 में धनराशि का प्राविधान किया गया है व इस सम्बन्ध में राज्य के इको—टूरिज्म सेन्टर के साथ समन्वय कर संभावित पर्यटन ग्रामों को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। राज्य के चयनित पर्यटन ग्रामों को चरणबद्ध रूप से एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जलना, शीतलाखेत एवं कसारदेवी के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1, 2, 3 एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची का आधार

37—श्री कैलाश शर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कृषि विभाग में कृषि सामान्य, कृषि रक्षा, मृदा परीक्षण एवं भूमि संरक्षण अनुभागों में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1, 2, 3 एवं लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची किस आधार पर तैयार की गई है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—3 की ज्येष्ठता सूची सभी शाखाओं यथा— विकास, कृषि रक्षा, रसायन, वनस्पति व शस्य में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर संयुक्त रूप से अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 के अधीन तैयार की गई है।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—2 में ज्येष्ठता सूची अलग—अलग शाखावार बनायी जाती है। वर्ग—3 से वर्ग—2 के पद पर कर्मचारियों की जिस शाखा में नियमित प्रोन्नति की जाती है, उसकी उसी शाखा में वर्ग—2 में ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है। वर्ग—3 से वर्ग—2 में शतप्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ज्येष्ठता निर्धारण का आधार अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 की व्यवस्थाधीन है, तद्नुसार ही ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग—1 में 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, तद्नुसार शाखावार ज्येष्ठता निर्धारण की जाती है। वर्ग—1 में भी ज्येष्ठता कृषि सेवा नियमावली 1993 के अधीन तैयार की गयी है।

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन तैयार की गयी है। जिसमें वरिष्ठ लिपिकों की ज्येष्ठता सूची विवादास्पद होने पर मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

यह भी सूच्य है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 की व्यवस्था का अनुपालन भी ज्येष्ठता निर्धारण में किया गया है।

उत्तरकाशी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में फार्मेसी पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ करने की मांग

38—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में फार्मेसी पाठ्यक्रम कुछ वर्ष पूर्व बन्द कर दिया गया?

यदि हाँ, तो क्या जनपद के शिक्षित नौजवानों के हित में फार्मेसी पाठ्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

जी हाँ।

पी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त होने पर यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पर्यटन को विकसित करने की नीति

39—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल में पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार द्वारा इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

उत्तरांचल में पर्यटन को सुनियोजित रूप से विकसित किये जाने हेतु पर्यटन नीति, 2001 तैयार की जा चुकी है एवं प्रभावी है। इस नीति को मा0 विधान सभा के पटल पर भी रखा जा चुका है। वर्तमान में इसी नीति के अनुरूप पर्यटन प्रचार—प्रसार, मास्टर प्लान के माध्यम से सुनियोजित विकास, निजी व सरकारी पूंजी निवेश प्राप्त करना, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन, पर्यटन ग्राम एवं

पर्यटन हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसी योजनाएं सुनियोजित रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषि व्यवसाय को लाभकारी बनाने की कार्यवाही

40–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं?

सरकार कृषि व्यवसाय को लाभकारी बनाये जाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

प्रदेश में कुल 13,44,415 कृषक एवं 2,24,313 कृषि श्रमिक कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 18.5 प्रतिशत है।

कृषि व्यवसाय को लाभकारी बनाये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में बायो विलेज कार्यक्रम चलाये जाने के साथ प्रदेश के 4 जनपदों यथा–नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून हेतु बासमती राइस एक्सपोर्ट जोन स्थापित किया गया है। परम्परागत फसलों को बढ़ावा देने हेतु उनकी उन्नत प्रजातियों के विकास की कार्यवाही की जा रही है। कृषकों को उनके जैविक उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गयी है। उत्तरांचल कृषि विविधीकरण द्वारा भी विभिन्न नगदी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उत्तरकाशी में पर्यटन निदेशालय के स्थापना की माँग

41–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में निदेशालय स्तर का कोई कार्यालय है?

यदि नहीं, पर्यटन की असीम संभावनाओं के मध्य नजर पर्यटन निदेशालय की स्थापना उत्तरकाशी में की जायेगी?

यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं। जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन विभाग का निदेशालय स्तर का कोई कार्यालय स्थापित नहीं है।

राज्य में मा0 मंत्रिपरिषद् एवं मा0 विधान सभा के अनुमोदनोपरान्त उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है एवं परिषद् का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में महिला कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना के तहत महिला कृषकों का प्रशिक्षण

42—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2002—03 में महिला कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना के तहत कितने चयनित उन्नतिशील महिला कृषकों को आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रशिक्षण करवाया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2002—03 में कृषि तकनीकी हस्तान्तरण योजना के अन्तर्गत 40 प्रगतिशील महिला कृषकों को कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के मेले में भ्रमण/प्रशिक्षण दिलाने हेतु ले जाया गया तथा प्रत्येक विकास खण्ड में ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण करवाने हेतु 05 महिला कृषकों के समूह का गठन किया गया। प्रत्येक समूह में 20—20 महिलाओं का चयन किया गया। इस प्रकार एक विकास खण्ड में 100 महिलाओं तथा पूरे जनपद में 600 प्रगतिशील महिलाओं को कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों, उद्यान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक विधियों से खेती के विषय में जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में कृषकों को लाइसेंस के तहत डोडा (पोश्त) की खेती करने पर विचार

43—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषकों को लाइसेन्स के तहत डोडा (पोश्त) की खेती करने की अनुमति दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों के कृषि उत्पाद के विपणन की नीति

44–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार कृषकों के कृषि उत्पाद के विपणन की क्या व्यवस्था करने जा रही है? क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई नीति बनाई गई है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नीति को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् ने कृषकों के कृषि उत्पाद के विपणन व्यवस्था हेतु 20 प्रधान मण्डी स्थल तथा 32 उपमण्डी स्थलों की व्यवस्था की है। सरकार की यह नीति है कि कृषकों को उनके उत्पादों का समुचित लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके। इस हेतु सरकार का यह प्रयास है कि कृषक अपने उत्पाद को बिक्री हेतु मण्डी तक सुगमता से ला सकें, इस हेतु सम्पर्क मार्ग रोप–वे एवं संग्रह केन्द्रों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषकों के उत्पाद के विपणन हेतु मण्डी स्थलों के निर्माण व विनियमन के प्राविधानों को लागू कराये जाने की योजना परिषद् के विचाराधीन है। कृषि विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक 2003–04 में भी इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया गया है तथा कार्यपूर्ति दिग्दर्शक 2003–04 की प्रतियां बजट सत्र में मा0 सदस्यगण विधानसभा को उपलब्ध करा दी गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग के चिकित्सक के विरुद्ध कथित प्रसूता प्रकरण की जांच

45–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 1414/जांच/02–03, दिनांक 13–03–2003 के द्वारा जिला अधिकारी चमोली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग के चिकित्सक के विरुद्ध एक प्रसूता प्रकरण जांच की आख्या चाहने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो जांच कर ली गयी है?

जांच के परिणाम क्या हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जी हाँ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में चयनित पर्यटन ग्राम तथा चयन का मानक

46–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा पर्यटन ग्रामों का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी में कौन–कौन गांव पर्यटन ग्राम घोषित किये गये? पर्यटन ग्राम घोषित किये जाने के मानक क्या हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल में पर्यटन ग्रामों के विकास हेतु एक प्राथमिक सूची तैयार की गई है, जिसमें जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा व धराली ग्राम को भी चिन्हित किया गया है। इन पर्यटन ग्रामों के विकास हेतु सुविचारित रूप रेखा तैयार किये जाने हेतु राज्य के इको–टूरिज्म सेन्टर के समन्वय से कार्यवाही की जा रही है व इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

राही मोटल हरिद्वार एवं पर्यटक आवास गृह पिरान कलियर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविलियन

47–श्री अजय भट्ट–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्या 1379/41–2001/2002, दिनांक 17 मई, 2001 के तहत राही मोटल हरिद्वार एवं पर्यटक आवास गृह पिरान कलियर के 25 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आवास गृहों की सम्पत्ति के साथ पर्यटन विभाग उत्तरांचल में संविलियन कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो ये कर्मचारी/अधिकारी वर्तमान में पर्यटन विभाग में कहाँ–कहाँ नियुक्त हैं? क्या सरकार उक्त कर्मचारी/अधिकारियों का पर्यटन विभाग उत्तरांचल में संविलियन किये जाने पर विचार कर रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तरांचल सरकार के मध्य गठित मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2001 में यह निर्णय लिया गया था कि दोनों राज्यों में कार्यरत निगमों/प्राधिकरणों आदि की सम्पत्तियां तत्काल सम्बन्धित प्रदेश को आवंटित कर दी जायं व ऐसा आवंटन कार्मिकों के एक पैकेज के रूप में होगा। राही मोटल एवं पिरान कलियर पर्यटक आवास गृह पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयां थीं, जो उत्तरांचल को इन 25 कार्मिकों के साथ हस्तान्तरित की गई। चूंकि इन कार्मिकों की सेवायें निगम की थीं, अतः इनकी सेवायें उत्तरांचल में इन इकाईयों को संचालित करने के लिये चिन्हित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अधीन ली जा रही हैं व उपरोक्त निर्णय के अनुरूप राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में इन्हें पर्यटन विभाग में संविलियन किया जाना संभव नहीं है।

वर्तमान में ये समस्त कार्मिक उपरोक्त निर्णय के अनुरूप गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अधीन कार्यरत हैं।

गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों में संचालक मण्डल का गठन

48—श्री अजय भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगमों में संचालक मण्डल का गठन हो गया है?

यदि हाँ, तो दोनों बोर्ड में कितने–कितने सदस्य हैं, तथा उनके नाम क्या हैं?

यदि नहीं, तो संचालक मण्डल का गठन अब तक न किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी है?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ।

दोनों निगमों के निदेशक मण्डल में अध्यक्ष सहित तीन–तीन सदस्य हैं, जिनके निगमवार नाम इस प्रकार हैं :—

1—गढ़वाल मण्डल के निदेशक मण्डल में श्री गणेश गोदियाल, अध्यक्ष, श्री एन0 एन0 प्रसाद, उपाध्यक्ष एवं श्री अजय सिंह नबियाल हैं।

2—कुमाऊँ मण्डल विकास निगम में डा0 प्रताप सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, श्री एन0 एन0 प्रसाद, उपाध्यक्ष एवं श्री तारकेन्द्र वैष्णव हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा एक वर्ष में निर्मित सड़कें

49—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा विगत एक वर्ष में मण्डी स्थलवार कुल कितनी लागत के कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां कार्यवार किस स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा विभिन्न मण्डियों में निम्नानुसार विगत एक वर्ष में कुल 148.826 किमी0 जिनकी लागत रु0 1309.89 लाख का कार्य किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :—

1. हल्द्वानी	76.405 किमी0	695.99 लाख
2. रामनगर	2.13 किमी0	22.53 लाख
3. रुद्रपुर	15.32 किमी0	112.24 लाख
4. किच्छा	11.54 किमी0	108.12 लाख
5. सितारगंज	2.92 किमी0	25.48 लाख

6. खटीमा	9.35 किमी0	78.09 लाख
7. टनकपुर	0.80 किमी0	15.02 लाख
8. गदरपुर	5.178 किमी0	50.22 लाख
9. जसपुर	5.573 किमी0	53.70 लाख
10. देहरादून	4.86 किमी0	33.11 लाख
11. मंगलौर	6.30 किमी0	70.17 लाख
12. ऋषिकेश	7.45 किमी0	45.22 लाख
योग	148.826 किमी0	1309.69 लाख

विगत एक वर्ष में समस्त सम्पर्क मार्गों की स्वीकृतियां मा0 अध्यक्ष मण्डी परिषद् के स्तर से प्रदान की गयी हैं। जिनका अनुमोदन मण्डी परिषद् से भी कर लिया गया है।

प्रदेश में संविदा पर नियुक्त ए0 एन0 एम0 की नियमित नियुक्ति

50—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने ए0 एन0 एम0 संविदा के आधार पर नियुक्त हैं?

क्या सरकार इन ए0 एन0 एम0 को नियमित नियुक्ति प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ। उत्तरांचल के विभिन्न जनपदों में 258 ए0 एन0 एम0 संविदा के आधार पर नियुक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नवीन मण्डी स्थल रुड़की के निर्माण कार्यों की जाँच

51—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन मण्डी स्थल रुड़की, जिला हरिद्वार के निर्माण कार्यों की जांच किये जाने का प्रकरण उत्तरांचल शासन के संज्ञान में है? यदि हाँ, तो जांच में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ।

नवीन मण्डी स्थल रुड़की से संबंधित अनियमितताओं की जाँच उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कराई गयी थी। इस जाँच के फलस्वरूप श्री हरिराम तत्कालीन उप निदेशक (निर्माण) (जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं) को निलम्बित किया गया था, जिन्हें बाद में प्रतिकूल प्रविष्टि देकर बहाल किया गया तथा श्री एस० एस० परमार, उप निदेशक (निर्माण) से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री परमार द्वारा यथासमय निर्माणाधीन कार्यों में हुए विचलन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, परन्तु बाद में विचलन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। श्री परमार को यथासमय विचलन की स्वीकृति प्राप्त न करने हेतु भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है।

देहरादून में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के एक नये निर्माण खण्ड की स्थापना

52—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् का एक नया निर्माण खण्ड देहरादून में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है?

यदि हाँ, तो नया खण्ड देहरादून में न खोले जाने के क्या कारण हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् का एक नया निर्माण खण्ड देहरादून में स्थापित किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है तथा प्रकरण अभी मण्डी परिषद् के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

धान की फसल में झुलसा बीमारी की रोकथाम

53—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि धान के फसल में झुलसा बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है? इस रोग की रोकथाम के लिये क्या सरकार निःशुल्क कीटनाशक की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

राज्य के कृषकों को धान की फसल पर झुलसा बीमारी की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा रोगरोधी प्रजातियां कृषकों को उपलब्ध करायी जा रही हैं साथ ही इस बीमारी पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से बायोपेस्टीसाइड्स एवं पेस्टीसाइड्स से बीज शोधित कर बुवाई करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर कीटनाशक एवं बायोपेस्टीसाइड्स तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर बायोपेस्टीसाइड्स उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस बीमारी के निवारण हेतु कृषकों को निःशुल्क व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाने का विभाग में कोई प्राविधान नहीं है।

लालढांग, हरिद्वार में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना पर विचार

54—श्री तसलीम अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वि0 क्षे0 लालढांग (जनपद हरिद्वार) में प्रा0स्वा0के0 की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कहाँ—कहाँ?

क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में प्रा0स्वा0 केन्द्रों की स्थापना किये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में वि0 क्षेत्र लालढांग में प्रा0स्वा0 केन्द्र की स्थापना को जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

जनपद चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों का सम्बद्धीकरण का निरस्तीकरण

55—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालय बद्रीनाथ, तपोवन, बगना आदि के चिकित्साधिकारियों का जनपद से बाहर अन्यत्र किये गये सम्बद्धीकरण का निरस्तीकरण किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

निरस्तीकरण संबंधी आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के होम्योपैथिक चिकित्सालय पाखी एवं निजमुला में चिकित्साधिकारियों के पदों पर तैनाती

56—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के होम्योपैथिक चिकित्सालय पाखी एवं निजमुला में लम्बी अवधि से रिक्त चल रहे चिकित्साधिकारियों के पदों पर तैनाती कब तक कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद चमोली के होम्योपैथिक चिकित्सालय पाखी एवं निजमुला में लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के संयुक्त चिकित्सालय गोपेश्वर एवं महिला चिकित्सालय जोशीमठ में महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती

57–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के संयुक्त चिकित्सालय गोपेश्वर एवं महिला चिकित्सालय जोशीमठ में स्त्री रोग विशेषज्ञ व महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती कब तक कर ली जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में दो महिला चिकित्सक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ में संविदा पर एक महिला चिकित्साधिकारी पूर्व से ही तैनात हैं तथा इसके अतिरिक्त जनपद चमोली के जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में रिक्त महिला चिकित्साधिकारी के पद पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ में रिक्त महिला चिकित्साधिकारी के पद पर संविदा पर एक महिला चिकित्सक की तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कृषि नीति

58–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की कृषि नीति बन चुकी है? यदि हाँ, तो सरकार उस नीति को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

उत्तरांचल कृषि नीति, 2001 वर्ष 2001 में जारी की गयी है। उत्तरांचल कृषि नीति, 2001 की प्रति संलग्न है।

[प्रति देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ सं0 91–116 पर]

नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में पैदल यात्रा मार्गों के रात्रि पड़ावों का संरक्षण

59—श्री प्रकाश पंत—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के पैदल यात्रा मार्ग में अनेकों स्थानों पर पुरातन रात्रि पड़ाव स्थापित हैं?

यदि हाँ, तो कितने स्थानों पर? क्या सरकार इन रात्रि पड़ावों को संरक्षण कर इनका उपयोग पर्यटकों को आकर्षण के रूप में करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ।

इन रात्रि पड़ावों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। इन रात्रि पड़ावों को पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित किया जाना कदाचित आधुनिक यात्रा सुविधाओं के हो जाने पर उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है तथापि यदि स्थानीय निजी उद्यमियों द्वारा पर्यटन स्वरोजगार योजना आदि के अधीन इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक महत्वों के स्मारकों/भवनों का सूचीकरण कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। यदि ऐसे स्थल इस सूची में चिन्हित होते हैं, तो उनके सम्बन्ध में भी यथा समय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में विभिन्न अस्पतालों में महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

60—श्री नारायण पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज ब्लाक (ऊधमसिंह नगर जिले) में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं?

क्या यह सत्य है कि इन हॉस्पिटल में कोई भी महिला चिकित्सक नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में यथाशीघ्र इन अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की तैनाती करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

श्री तिलक राज बेहड़—

सितारगंज ब्लाक (ऊधमसिंह नगर) में 07 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 05 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

जी हाँ।

सितारगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूरा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसके अन्तर्गत महिला चिकित्सक की तैनाती भी की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

पिथौरागढ़ में महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन

61—श्री प्रकाश पंत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 1967 से संचालित जनपद पिथौरागढ़ के महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री प्रशिक्षण केन्द्र को वर्ष 2003 में क्रियाशील न होने के कारण बन्द करने के आदेश निर्गत किये गये थे?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को पुनः क्रियाशील कर संचालन करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय दन्या के भवन निर्माण के मानक

62—श्री प्रकाश पंत—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय दन्या का भवन कब से निर्माणाधीन है?

क्या निर्धारित मानकों के अनुसार समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ, वर्ष 1998 से।

जी नहीं।

लोक निर्माण विभाग की दरों में वृद्धि होने के कारण स्वीकृत लागत में भवन का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

जनपद चमोली में कम्युनिटी किचन स्कीम का संचालन

63—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या पर्यटन मंत्री के संज्ञान में है कि कम्युनिटी किचन स्कीम के तहत जनपद चमोली के दूरदराज अवस्थित गांव डुमक, उगम, गौणा गाड़ी, सरतोली आदि गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

पर्यटन विभाग के द्वारा कम्युनिटी किचन स्कीम के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मँडुवे का उत्पादन बढ़ाने एवं बेबीफूड तैयार करने की कार्य योजना

64–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के मँडुवे की बेबीफूड तैयार करने तथा मँडुवे का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना प्रस्तावित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

प्रदेश में मँडुवे की बेबीफूड तैयार करने हेतु एक कार्य योजना शासन स्तर से भारत सरकार के साईन्स एण्ड टैक्नोलॉजी विभाग को रु0 176.89 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गयी है। मँडुवे का उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नतशील प्रजातियों के बीजों का वितरण शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मँडुवे का उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

यात्रा सीजन में प्रा0स्वा0 केन्द्र चमोली एवं पीपलकोटी में एम्बुलेन्स की व्यवस्था

65–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में यात्रा सीजन में सम्भावित दुर्घटनाओं के मध्य नजर प्रा0स्वा0 केन्द्र चमोली एवं पीपलकोटी में एम्बुलेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

जनपद चमोली में यात्रा सीजन में सम्भावित दुर्घटनाओं को मध्य नजर रखते हुए प्रा0स्वा0 केन्द्र पीपलकोटी में एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रा0स्वा0 केन्द्र चमोली में एम्बुलेन्स की आवश्यकतानुसार व्यवस्था जिला चिकित्सालय चमोली से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कु0 हिमानी पुत्री श्री प्रेमलाल बिजलवाण, पीपलकोटी, जनपद उत्तरकाशी का ऑपरेशन जाँच प्रकरण

66—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून को प्रश्नकर्ता का पत्रांक 967/जांच/02—03, दिनांक 14—12—2002 जो कु0 हिमानी पुत्री श्री प्रेमलाल बिजलवाण, निवासी पीपलकोटी, चिन्यालीसौड, जनपद उत्तरकाशी के ऑपरेशन जांच प्रकरण के संदर्भ में प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

माननीय विधायक का संदर्भित—पत्र पर मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून द्वारा जांच कराई गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु न्यूनतम स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की योजना

67—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु पूर्व से ही न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति 3000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 5000 की जनसंख्या पर उप केन्द्रों की स्थापना की जाती है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक कार्यालय एवं यूनानी अधिकारी उत्तरकाशी में चतुर्थ वर्ग में बाहरी जनपदों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

68—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कार्यालय, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तरकाशी में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तरांचल, देहरादून के द्वारा वर्ष 2003 में चतुर्थ वर्ग में बाहरी जनपद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई?

यदि हाँ, तो जनपद के मूल निवासियों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार उक्त नियुक्ति को रद्द कर जनपद के मूल निवासियों की नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुथनौर, उत्तरकाशी के कार्यालय भवन के किराये का भुगतान

69—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुथनौर, उत्तरकाशी के कार्यालय भवन स्वामी को वर्ष 1991 से भवन किराया नहीं दिया गया है?

यदि हाँ, तो भवन किराये का भुगतान कब तक कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

इस प्रकरण का परीक्षण प्रचलन में है तथा भवन किराये की अनुमति शीघ्र प्रदान कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर रोक हेतु राजकीय विश्लेषक की नियुक्ति

70–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में मिलावटी व नकली आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने हेतु ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर–IV ए. सेक्शन 33–एफ एवं 33–जी में क्या व्यवस्था है?

क्या उक्त व्यवस्था लागू की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के पार्ट XVIII, नियम 162, 163 के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में औषधि निरीक्षक (आयुर्वेदिक) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उक्त एक्ट के नियम 166 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में कितने आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों का परीक्षण कराया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर–IV ए तथा सेक्शन 33–एफ में राजकीय विश्लेषक की नियुक्ति तथा सेक्शन 33–जी में ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्राविधान है।

जी नहीं।

सम्प्रति उत्तरांचल राज्य में स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना नहीं होने के कारण।

औषधि निरीक्षक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण विगत तीन वर्षों में किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नही उठता।

शून्य।

राज्य में अभी स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब की स्थापना नहीं होने और राजकीय विश्लेषक तथा औषधि निरीक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण।

ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज फार्मेसी प्रयोगशाला का स्टेट डी0टी0एल0 में उच्चीकरण

71–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्टेट फार्मेसी/औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण योजना के अन्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज फार्मेसी प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण किया गया है?

क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा उक्त प्रयोगशाला का स्टेट डी0टी0एल0 में उच्चीकरण न करने के कारण औषधि निर्माण शालाओं के औषधीय नमूनों का शुल्क के आधार पर परीक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश को राजस्व हानि के साथ-साथ उक्त योजना का लाभ जन साधारण को नहीं मिल पा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए इसकी जांच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी नहीं। उक्त प्रयोगशाला ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी की आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता के लिए स्थापित है। अतः उक्त प्रयोगशाला में सम्प्रति औषधीय नमूनों का शुल्क के आधार पर परीक्षण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

टिहरी गढ़वाल में अगलाड़ जलागम महाप्रबन्ध बहुद्देशीय योजना

72—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या जलागम प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में अवस्थित अगलाड़ नदी क्षेत्र हेतु अगलाड़ जलागम महाप्रबन्ध बहुद्देशीय योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य करवाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में अवस्थित अगलाड़ नदी क्षेत्र हेतु अगलाड़ जलागम महाप्रबन्ध बहुद्देशीय योजना के नाम से अथवा अन्य नाम से जलागम प्रबन्ध निदेशालय के नियन्त्रणाधीन अब तक कोई जलागम प्रबन्ध परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत अगलाड़ उपजलागम के चयनित सूक्ष्म जलागमों को लिया गया है।

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा वास्तविक व्यवसायी को ऋण प्रदान न करना

73—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से महत्वकांक्षी वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर बैंकों द्वारा वास्तविक बेरोजगारों को ऋण नहीं दिया जा रहा है? क्या यह सत्य है

कि उत्तरांचल में फैले ग्लेशियरों, प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों पर पर्यटन व्यवसाय को बैंक व्यवसायिक लाभ प्रदत्ता में निर्बल मान रहे हैं? यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत--

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक विभिन्न योजनाओं के लिये, विभिन्न जनपदों में लाभार्थियों को ऋण अनुदान वितरित किये जा चुके हैं। अब तक किसी भी जनपद से यह आपत्ति/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि बैंकों द्वारा वास्तविक बेरोजगारों को ऋण नहीं दिया जा रहा है एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण स्थलों की व्यवसायिकता को बैंकों द्वारा महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।

जनपद रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि में मन्दाकिनी के तट पर घाट निर्माण की योजना

74--श्रीमती आशा देवी--

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में मन्दाकिनी के तट पर घाट निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस घाट का निर्माण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत--

वित्तीय वर्ष 2003--2004 की जिला योजना में अगस्त्यमुनि में स्नानघाट एवं शौचालय के निर्माण हेतु रु० 5.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। योजना का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने के उपरान्त इस योजना के लिये वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त ही योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में जिला पर्यटन अधिकारी के पद का सृजन

75--श्रीमती आशा देवी--

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के लिये "जिला पर्यटन अधिकारी" का पद सृजन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक पद सृजित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत--

जनपद रुद्रप्रयाग में जिला पर्यटन विकास अधिकारी का पद सृजित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिलों में आई0टी0आई0 के रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति

76—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के तेरह जिलों में आई0टी0आई0 में कितने पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

प्रदेश के तेरह जिलों के 70 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) में श्रेणी—1 प्रधानाचार्य के 02 पद तथा श्रेणी—2 के 45 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

उत्तरकाशी में खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति एवं पकड़ी गई खाद्य सामग्री के नमूनों एवं जाँच का ब्यौरा

77—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने खाद्य निरीक्षक के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पदों पर तैनाती नहीं की गई है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2002—2003 में जनपद में कुल कितने व्यापारियों के खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गये?

कितने व्यापारियों को मिलावट के लिए दोषी पाया गया?

कितने व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें पंजीकृत/अभियोग दर्ज किये गये तथा कितने व्यापारियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ। जनपद उत्तरकाशी में खाद्य निरीक्षकों के कुल 10 पद स्वीकृत है तथा 07 पदों पर तैनाती नहीं की गयी है।

29 खाद्य सामग्रियों के नमूने लिये गये।

चार व्यापारियों को मिलावट के लिए दोषी पाया गया।

चार व्यापारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

78—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

(द्वितीय सोमवार के अता0 प्र0 127 में स्था0)।

79—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

(प्रथम सोमवार के अता0 प्र0 123 में स्था0)।

जनपद चमोली के ग्राम चमतोली में स्थित सिद्धपीठ भगवान नृसिंह के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण

80—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के ग्राम चमतोली में स्थित सिद्धपीठ भगवान नृसिंह के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

इस प्रकार की कोई भी योजना पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

मन्दिरों के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित कार्य पर्यटन विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं है एवं इस मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हुआ है।

नैनीताल स्थित पं0 गोविन्द बल्लभ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता

81—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल स्थित पण्डित गोविन्द बल्लभ चिकित्सालय (रैमजी हॉस्पिटल) में अभी तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इस चिकित्सालय में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं बी0डी0 पाण्डे (पु0) चिकित्सालय नैनीताल में उपलब्ध है। जो नैनीताल मुख्यालय में ही स्थित है।

भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को पुनर्वासित करने की योजना

82—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हैं तथा वर्ष 2002 तक कितने पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वासित किया गया है?

शेष को पुनर्वासित करने की प्रदेश सरकार की क्या कोई योजना है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

प्रदेश में कुल 10,168 पूर्व सैनिक पुनर्योजन हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में पंजीकृत हैं। वर्ष 2002 तक कुल 654 पूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में पुनर्योजित किया गया। इसके अतिरिक्त 57 शहीद सैनिकों की पत्नियों को पुनर्वासित किया गया।

सैनिकों को पुनर्वासित किये जाने हेतु निम्न योजनाएं संचालित हैं :—

1. राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों को 02% आरक्षण दिया जा रहा है।
2. उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 का गठन करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके माध्यम से बेरोजगार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को रोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
3. शहीद सैनिकों की विधवाओं/आश्रित पुत्रियों को स्वरोजगार हेतु जनपद मुख्यालय पौड़ी के सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
4. "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों को 02% का आरक्षण प्रदान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वंचित जनपदों में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग

83—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में अभी तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुले हैं?

इन जनपदों में कब तक सरकार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

प्रदेश के चार जनपदों में राजकीय पॉलिटेक्निक स्थापित नहीं हुए हैं।

वर्तमान में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। सम्प्रति इन जनपदों में पॉलिटेक्निक स्थापित किये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों के सृजित पद एवं उन पर नियुक्ति

84–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कितने पद महिला चिकित्सकों के स्वीकृत हैं?

कितने पदों पर महिला चिकित्सक राजकीय अस्पताल में कार्यरत हैं?

प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री तिलक राज बेहड़–

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्तमान समय में महिला चिकित्सकों (सा0 ग्रेड) के 93 पद स्वीकृत हैं।

59 पदों पर महिला चिकित्सक (50 पूर्णकालिक तथा 9 संविदा पर) राजकीय अस्पतालों में कार्यरत हैं।

प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में वर्तमान में रिक्त पदों के विरुद्ध 34 महिला चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती की गयी है।

जनपद टिहरी के थत्यूड़ में आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना

85–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड़ में आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त आई0टी0आई0 कब तक प्रारम्भ कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रश्नगत आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु आलोच्य वित्तीय वर्ष में अनुपूरक मांग के माध्यम से पर्याप्त धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त आई0टी0आई0 की स्थापना की जानी सम्भव प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल मुख्यालय नैनीताल में संयुक्त निदेशक पर्यटन के पद का सृजन

86–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए कुमाऊँ मण्डल मुख्यालय नैनीताल में संयुक्त निदेशक, पर्यटन का पद सृजित करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् की संरचना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है एवं इसमें संयुक्त निदेशक स्तर के पद मुख्यालय में रखे गये हैं।

अतः कुमाऊँ मण्डल मुख्यालय, नैनीताल में संयुक्त निदेशक, पर्यटन का पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई०टी०आई० चिरबटिया (लस्या) एवं रुद्रप्रयाग में पदों की स्थिति एवं उन पर नियुक्ति

87–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में आई०टी०आई० चिरबटिया (लस्या) तथा आई०टी०आई०, रुद्रप्रयाग में कितने अनुदेशक कार्यरत हैं तथा कितने अनुदेशकों के पद रिक्त हैं?

क्या यह भी सही है कि इन संस्थानों में प्रधानाचार्य के पद भी रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों पर कब तक तैनातियाँ कर दी जायेंगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत आई०टी०आई० चिरबटिया में 04 अनुदेशक कार्यरत हैं, व 04 अनुदेशक के पद रिक्त हैं। आई०टी०आई०, रुद्रप्रयाग में 03 अनुदेशक कार्यरत हैं, तथा 04 अनुदेशकों के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनातियों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उत्तरांचल को प्रेषित किये गये हैं।

अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां मा० उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के उपरान्त ही नियमानुसार की जायेंगी।

गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की कुल भूमि एवं उसकी वर्तमान स्थिति

88–श्री नारायण पाल–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला ऊधमसिंह नगर को प्रारम्भ में कितनी जमीन लीज पर दी गयी थी तथा वर्तमान में कितनी जमीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विश्वविद्यालय की कितनी जमीन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों को हस्तगत की गयी है इसका निर्णय किस स्तर से हुआ और क्यों? क्या इसके लिए कोई मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग बनाया गया है? (एम0ओ0यू0) यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर, जिला ऊधमसिंह नगर को प्रारम्भ में उ0प्र0 शासन द्वारा डीड ऑफ ग्राण्ट के अन्तर्गत उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की स्थापना अधिनियम, 1958 के द्वारा वर्ष 1960 में की गयी थी, को दिनांक 19–10–1962 को तराई स्टेट फार्म, रुद्रपुर क्षेत्रफल 14241.35 एकड़ (5696.54 हे0) की चल–अचल सम्पत्ति सहित हस्तान्तरित किया गया था।

वर्तमान में विश्वविद्यालय फार्म के अधीन 3997.50 हे0 भूमि है जिस पर बीज उत्पादन हेतु 3374.24 हे0, उद्यान हेतु 42.40 हे0, प्लान्टेशन 104.70 हे0, मछली तालाब हेतु 1.60 हे0 है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 808.46 हे0 जमीन विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर प्रयोग में लायी जा रही है। शेष लगभग 860 हे0 भूमि में विश्वविद्यालय परिसर के आवासीय एवं अनावासीय भवन बने हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जो भूमि सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों को हस्तगत की गयी है उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम–23.90 एकड़–
   - (अ) उ0प्र0 शासनादेश संख्या 3885/12–4/583–74, दिनांक 21–1–74 द्वारा 16.90 एकड़ भूमि।
   - (ब) उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 6600/12–8–400 (158)/83, दिनांक 16–1–84 द्वारा 3.00 एकड़।
   - (स) उ0प्र0 शासनादेश संख्या 1953/12–8–95–400(93)/90, दिनांक 19–8–95 द्वारा 4.00 एकड़।
2. रामपुर से लालकुआ रेलवे लाईन बनाने के लिए भारतीय रेलवे को हल्दी रोड रेलवे स्टेशन हेतु 64.15 एकड़ (उ0प्र0 शासनादेश संख्या 273/12–8–89–400(49)/89, दिनांक 25–1–1990)।
3. 46वीं वाहिनी पी0ए0सी0, रुद्रपुर 150.00 एकड़ (उ0प्र0 शासनादेश संख्या 4019/12–8–400(105)/92, दिनांक 1–12–1992)।

4. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् रुद्रपुर उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 2.00 एकड़ (उ0प्र0 शासनादेश संख्या 162/12-8-93-400(101)/93, दिनांक 3-3-1993)।

5. ऊधमसिंह नगर के जनपद मुख्यालय की स्थापना हेतु 300.00 एकड़ (उ0प्र0 शासनादेश संख्या 3372/12-8-97-400(174)/95/टी0सी0, दिनांक 2-8-1998)।

6. कृषि विभाग उत्तरांचल को कृषि विभाग के फार्म की स्थापना हेतु 25.00 एकड़ (उत्तरांचल शासनादेश संख्या 175/कृषि एवं जलागम/2002, दिनांक 11-10-2002)।

7. सरस्वती शिशु मन्दिर की पन्तनगर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापना हेतु 1.00 एकड़ (पन्तनगर विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् की 171वीं बैठक, दिनांक 28-2-1998 के द्वारा)।

8. एस0ए0डी0 हल्दी के भवन एवं 1.5 एकड़ भूमि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर को 30 वर्ष की लीज पर प्रबन्ध परिषद् की 187वीं बैठक, दिनांक 18-1-2003 को संकल्प संख्या 24 द्वारा रु0 1/- प्रतिवर्ष मानक पर उपलब्ध करायी गयी।

9. पेरेन्ट फार्म और हैचरी कॉम्प्लैक्स, उत्तरांचल, ग्रामीण पोल्ट्री विकास परियोजना एस0जी0एस0वाई0 विशेष परियोजना के लिए 110 मीटर × 310 मीटर (8.525 एकड़) भूमि रु0 1/- प्रति वर्ष मानक किराये पर पन्तनगर विश्वविद्यालय ग्रामीण पाल्ट्री विकास एवं मै0 एस0एन0के0 स्मारक ट्रस्ट के बीच हुए त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के आधार पर 3 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की गयी, जिसे प्रबन्ध परिषद् की 187वीं बैठक, दिनांक 18-1-2003 के संकल्प संख्या अ-30 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। 3 वर्ष के पश्चात् यह भूमि सभी इन्फ्रास्ट्रक्चरर्स सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति हो जायेगी।

एम0ओ0यू0 केवल उत्तरांचल ग्रामीण विकास परियोजना एवं मै0 एस0एन0के0 स्मारक ट्रस्ट के बीच शासनादेश के तहत किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हल्दी को भूमि दिये जाने हेतु अनुबन्ध-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधमसिंह नगर के साथ हस्ताक्षरित किया गया है।

पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं उनका नियमितीकरण

89—श्री नारायण पाल—

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पन्तनगर विश्वविद्यालय ऊधमसिंह नगर जिले में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या इन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

विश्वविद्यालय में कुल 370 दैनिक वेतन भोगी कर्मी कार्यरत हैं। इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। जिस पर विचारोपरान्त मा0 मंत्री परिषद् ने फिलहाल निर्णय स्थगित कर दिया है।

वर्ष 2003 में राजकीय आई0टी0आई0 हरिद्वार में छात्राओं को प्रतिशत के आधार पर ट्रेड का आवंटन

90–श्री हरिदास–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के राजकीय आई0टी0आई0 हरिद्वार में वर्ष 2003 में प्रवेश के समय छात्राओं को प्रवेश में प्रतिशत के आधार पर ट्रेड आवंटित किये गये थे?

क्या सरकार छात्रों के प्रवेश प्रतिशत तथा ट्रेड आवंटन सूची को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

जी हाँ।

[सूची देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ सं0 117–127 पर]

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण

91–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

92—श्री प्रेमानन्द महाजन—

(द्वितीय सोमवार के अता0 प्र0 56 में स्था0)

उत्तरांचल राज्य में राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के पश्चात् रिक्त सीटों के कारण

93—श्री प्रकाश पंत—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य स्थित राजकीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों में इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में छात्रों का प्रवेश इस वर्ष नहीं किया जा सका?

यदि हाँ, तो कितनी रिक्तियां विभिन्न विषयों में रह गयी?

रिक्तियां रहने के क्या कारण हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

उत्तरांचल राज्य स्थित स्वायत्तशासी एवं राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में छात्रों को इस वर्ष प्रवेश दिया गया है, किन्तु कतिपय संस्थाओं में सीटें रिक्त रह गयीं।

स्वायत्तशासी संस्था—	
कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज—	
1—कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	05
2—बायोकैमिकल इंजी0	16
जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कॉलेज—	
1—कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	15
2—इलै0 इंजी0	09
3—मैकेनिकल इंजी0	06
प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पंतनगर—	
1—एग्रीकल्चर इंजी0	17
राजकीय पॉलीटेक्निक—	
1—इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी0	08
2—आई0टी0	05
3—आई0डी0डी0	10

स्वायत्तशासी संस्थाओं में ए0आई0ई0ई0ई0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक सीमा तक अभ्यर्थियों के उपलब्ध न हो पाने के कारण सीटें रिक्त रह गयी।

पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थानों में तीन बार काउन्सिलिंग में अभ्यर्थियों को बुलाये जाने के बावजूद भी सीटें रिक्त रह गयीं।

प्रदेश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कृषक एवं योजना के प्रचार–प्रसार पर विचार

94–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल के कितने कृषकों द्वारा उक्त योजना का लाभ उठाया गया है?

क्या सरकार इस योजना के प्रचार–प्रसार के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गत रबी 2002–03 में प्रदेश के 4825 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कराया गया तथा 819 कृषकों द्वारा रु0 2,92,176.04 का क्षति पूर्ति लाभ प्राप्त किया।

भारतीय साधारण बीमा निगम, जनपद स्तरीय बैंकों के साथ प्रत्येक जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु गोष्ठियाँ करायी गयी हैं।

उत्तरांचल राज्य में दवा कम्पनियों द्वारा स्थापित डिपो के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से दवाईयाँ खरीदने पर रोक

95–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के कुल कितनी दवा कम्पनियों ने अपने डिपो स्थापित कर दिये हैं तथा ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होंने अपने डिपो स्थापित करने हेतु आवेदन दिया है?

क्या सरकार दूसरे प्रदेशों में स्थापित डिपो की दवाईयां खरीदने पर रोक लगाने का विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

उत्तरांचल राज्य में अब तक 90 दवा कम्पनियों ने अपने औषधि विक्रय के लिए डिपो स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र दिये थे। उक्त सभी आवेदकों को औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

जी नहीं।

राज्य सरकार के पास इस प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है जिससे वह दूसरे प्रदेशों से जन स्वास्थ्य हेतु आवश्यक दवाओं की आपूर्ति पर रोक लगा सके।

(सदन की कार्यवाही 1.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वैल" में खड़े होकर नारे लगाने लगे– "भू–अध्यादेश वापस लो", "काला कानून वापस लो", "कांग्रेसी कानून वापस लो", "आज दो अभी दो, कांग्रेस सरकार इस्तीफा दो।"

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग करें। कृपया आसन ग्रहण करें।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की लॉबी के पीछे खड़े होकर नारे लगाने लगे– "भू कानून लागू करो", "भू कानून सख्ती से लागू करो", "नहीं चलेगा–नहीं चलेगा भू माफियाओं का दबाव नहीं चलेगा"।

("वैल" में खड़े समस्त माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे।)

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी की लॉबी के पीछे खड़े होकर नारे लगा रहे थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। यह विधेयक 22 तारीख को सदन में प्रस्तुत हो रहा है, सभी माननीय सदस्य अपनी बात को उस समय रख सकते हैं। आप लोग कृपया अपना–अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन की कार्यवाही को 03.00 बजे तक स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह कण्डारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वैल" में नारेबाजी करने लगे– "काला कानून वापस लो", "काला कानून वापस लो", "भू–अध्यादेश वापस लो"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी सूचना को नियम 311 के अन्तर्गत सुन लें। मेरा निवेदन है कि आप इस अध्यादेश को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जो अपने सुझाव सरकार को देगी।

मान्यवर, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारी बात को सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

यह विधेयक सोमवार को सदन में प्रस्तुत हो रहा है। मेरा आग्रह है कि आप उसी दिन अपनी बात कह लें।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 की बैठक में दिनांक 19 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर, 2003

19, शुक्रवार

1. वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

विधायी कार्य

2. (क) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)।

(ख) उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (45 मिनट)।

(ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)।

असरकारी कार्य (आधा दिन)

3. श्री प्रकाश पन्त द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी विधेयक, के पुरःस्थापन एवं विचार :–

"उत्तरांचल गौ–वंश संरक्षण विधेयक, 2003"

4. विगत प्रथम सत्र के लम्बित असरकारी संकल्पों पर चर्चा :–

(क) श्रीमती विजय बड़थ्वाल "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय"।

(ख) श्री मातबर सिंह कण्डारी — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के रेल मार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुये विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय।"

(ग) काजी निजामुद्दीन — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिये।"

वर्तमान सत्र के निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण

(घ) श्री प्रीतम सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक निधि द्वारा निर्माण कार्यों के अलावा धनावंटन करने के लिए मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन तत्काल कराया जाय।"

(ङ) श्रीमती विजय बड़थ्वाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम को नगर पंचायत बनाया जाय।"

(च) श्री नारायण सिंह जन्तवाल — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाय"।

(छ) श्री मातबर सिंह कण्डारी — "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल के समग्र विकास के लिए अर्थशास्त्रियों, उद्योग विशेषज्ञों, वन विशेषज्ञों, पर्यटन विशेषज्ञों तथा कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी नियोजन के लिए गठित की जाय।"

(ज) श्री मदन कौशिक — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में किसानों के गन्ना मूल्य निर्धारण एवं भुगतान हेतु नयी नीति बनाकर उसे तत्काल लागू किया जाय।"

20 शनिवार — अवकाश (बैठक नहीं होगी)।

21 रविवार — अवकाश (बैठक नहीं होगी)।

<u>दिसम्बर, 2003</u> — <u>विधायी कार्य</u>

22 सोमवार

1. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।
2. (क) श्री बलबीर सिंह नेगी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुत्तु को, चारधाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चारधाम की कार्ययोजना से जोड़ा जाय।"

दिसम्बर, 2003

23 मंगलवार

विधायी कार्य

1. (क) उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(ख) उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(ग) उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

2. श्री मदन कौशिक द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित विषय पर एक घंटे की चर्चा :-

"प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किये जाएं।"

दिसम्बर, 2003

24 बुधवार

विधायी कार्य

1. (क) उत्तरांचल उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(ख) उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(ग) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(घ) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सभी सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुपूरक अनुदानों की माँगों पर मतदान

अनुदान सं0–01 विधान सभा, अनुदान सं0–03 मंत्रिपरिषद्, अनुदान सं0–04 न्याय प्रशासन, अनुदान सं0–05 निर्वाचन, अनुदान सं0–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, अनुदान सं0–07 वित्त कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें, अनुदान सं0–10 पुलिस एवं जेल, अनुदान सं0–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति, अनुदान सं0–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, अनुदान सं0–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, अनुदान सं0–14 सूचना, अनुदान सं0–15 कल्याण योजनायें, अनुदान सं0–16 श्रम एवं रोजगार, अनुदान सं0–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान, अनुदान सं0–18 सहकारिता, अनुदान सं0–19 ग्राम्य विकास, अनुदान सं0–20 सिंचाई एवं बाढ़, अनुदान सं0–22 लोक निर्माण कार्य, अनुदान सं0–23 उद्योग, अनुदान सं0–24 परिवहन, अनुदान सं0–25 खाद्य, अनुदान सं0–26 पर्यटन, अनुदान सं0–27 वन, अनुदान सं0–28 पशुपालन

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 7100 हजार (इकहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत रु0 7100 हजार (इकहत्तर लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रु0 30000 हजार (तीन करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रु0 30000 हजार (तीन करोड़ रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 119437 हजार (ग्यारह करोड़ चौरानबे लाख सैंतीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रु0 119437 हजार (ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख सैंतीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 5800 हजार (अट्ठावन लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत रु0 5800 हजार (अट्ठावन लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 263555 हजार

(छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रु0 263555 हजार (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख पचपन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 228319 हजार (बाईस करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ऊनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रु0 228319 हजार (बाईस करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 61353 हजार (छः करोड़ तेरह लाख तिरपन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रु0 61353 हजार (छः करोड़ तेरह लाख तिरपन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत

रु0 637305 हजार (तिरसठ करोड़ तिहत्तर लाख पाँच हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रु0 637305 हजार (तिरसठ करोड़ तिहत्तर लाख पाँच हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 17724 हजार (एक करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रु0 17724 हजार (एक करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 20590 हजार (दो करोड़ पाँच लाख नब्बे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रु0 20590 हजार (दो करोड़ पाँच लाख नब्बे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या--14 सूचना के अन्तर्गत रु0 3065 हजार (तीस लाख पैंसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--14 सूचना के अन्तर्गत रु0 3065 हजार (तीस लाख पैंसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या--15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 87091 हजार (आठ करोड़ सत्तर लाख इक्यानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत रु0 87091 हजार (आठ करोड़ सत्तर लाख इक्यानवे हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या--16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 12085 हजार (एक करोड़ बीस लाख पचासी हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रु0 12085 हजार (एक करोड़ बीस लाख पचासी हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003--2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 979674 हजार (सत्तानवे करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रु0 979674 हजार (सत्तानवे करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 2754 हजार (सत्ताईस लाख चौवन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत रु0 2754 हजार (सत्ताईस लाख चौवन हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 82228 हजार (आठ करोड़ बाईस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रु0 82228 हजार (आठ करोड़ बाईस लाख अट्ठाईस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 24563 हजार (दो करोड़ पैंतालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रु0 24563 हजार (दो करोड़ पैंतालीस लाख तिरसठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 435001 हजार (तैंतालीस करोड़ पचास लाख एक हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रु0 435001 हजार (तैंतालीस करोड़ पचास लाख एक हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 131014 हजार (तेरह करोड़ दस लाख चौदह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत रु0 131014 हजार (तेरह करोड़ दस लाख चौदह हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 5131 हजार (इक्यावन लाख इकतीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24 परिवहन के अन्तर्गत रु0 5131 हजार (इक्यावन लाख इकतीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 2400 हजार (चौबीस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25 खाद्य के अन्तर्गत रु0 2400 हजार (चौबीस लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत रु0 15000 हजार (एक करोड़ पचास लाख रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रु0 18160 हजार (एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत रू0 18160 हजार (एक करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत रू0 70636 हजार (सात करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत रू0 70636 हजार (सात करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2003–2004 के लिए रु0 333,59,56,000 का दिया जाना — 2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रुपये (तीन सौ तैंतीस करोड़, उनसठ लाख, छप्पन हजार) मात्र होता है, अधिक न हो।

विनियोग — 3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01.	विधान सभा	राजस्व	7100	0	7100
		पूंजी	0	0	0
03.	मंत्रि परिषद्	राजस्व	30000	0	30000
		पूंजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	119437	69526	188963
		पूंजी	0	0	0
05.	निर्वाचन	राजस्व	5800	0	5800
		पूंजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	213555	0	213555
		पूंजी	50000	0	50000
07.	वित्त, कर, नियोजन सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	राजस्व	228319	0	228319
		पूंजी	0	0	0
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	5220	5220
		पूंजी	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	40803	0	40803
		पूंजी	20550	0	20550
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	542495	0	542495
		पूंजी	94810	0	94810
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	16724	0	16724
		पूंजी	1000	0	1000
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	20590	0	20590
		पूंजी	0	0	0
14.	सूचना	राजस्व	3065	0	3065
		पूंजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनाएं	राजस्व	70961	0	70961
		पूंजी	16130	0	16130
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	6585	0	6585
		पूंजी	5500	0	5500
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	107073	1225	108298
		पूंजी	872601	0	872601

1	2		3		
18.	सहकारिता	राजस्व	2754	0	2754
		पूंजी	0	0	0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	32228	0	32228
		पूंजी	50000	0	50000
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	21562	0	21562
		पूंजी	3001	0	3001
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	435001	0	435001
23.	उद्योग	राजस्व	1250	0	1250
		पूंजी	129764	0	129764
24.	परिवहन	राजस्व	5131	0	5131
		पूंजी	0	0	0
25.	खाद्य	राजस्व	2400	0	2400
		पूंजी	0	0	0
26.	पर्यटन	राजस्व	15000	0	15000
		पूंजी	0	0	0
27.	वन	राजस्व	18160	0	18160
		पूंजी	0	0	0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	17046	0	17046
		पूंजी	53590	0	53590
	महायोग		3259985	75971	3335956

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल विनियोग (2003–2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(मद संख्या 14, 15 एवं 16 पर अंकित माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य चर्चा करने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(मद संख्या 17, 18 एवं 19 पर माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत जी का नाम पुकारे जाने पर वे खड़े नहीं हुए।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(मद संख्या 20 पर अंकित माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री मदन कौशिक, श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार का नाम पुकारे जाने पर उन्होंने अपने संकल्पों का प्रस्तुतीकरण नहीं किया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या , वर्ष 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेतर संशोधन करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 24 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 16, सन् 2002 की धारा–60(2) के अंश का विलोपन

2. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशों का विलोपन :–

"या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या , वर्ष 2003)

उत्तरांचल राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र का निर्माण तथा पारेषण तंत्र के विकास आदि हेतु राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की बिक्री योग्य विद्युत पर शुल्क अधिरोपित करने एवं संग्रहण हेतु विधेयक जो भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम "उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं–

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में :

(क) 'नियत तिथि' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन निधि की स्थापना की तिथि से है;

(ख) 'शुल्क' का तात्पर्य उस शुल्क से है जो राज्य सरकार की जल विद्युत उत्पादन कम्पनी की वर्तमान एवं अधिसूचित जल विद्युत परियोजनाएं, जो दस वर्षों से वाणिज्यिक संचालन में हों, की बिक्री योग्य विद्युत पर अधिरोपित एवं संग्रहीत किया जाय;

(ग) 'निधि' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि से है;

(घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विहित किये गये नियमों से है;

(ङ) 'राज्य सरकार' अथवा 'सरकार' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है।

अध्याय–II

उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि

3. शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण–

(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचित तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन कम्पनी की अधिसूचित वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की बिक्री योग्य विद्युत पर शुल्क का उद्ग्रहण एवं संग्रहण कर सकेगी।

(2) शुल्क की दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जायेगी।

(3) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अधिरोपित शुल्क का उस उत्पादन कम्पनी द्वारा भुगतान किया जायेगा जिसके द्वारा उत्पादित एवं बिक्री विद्युत पर ऐसा शुल्क अधिरोपित किया गया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शुल्क तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त होगा।

4. शुल्क का राज्य की संचित निधि में जमा करना–

धारा 3 के अधीन अधिरोपित शुल्क के अग्रिम सर्वप्रथम राज्य सरकार की संचित निधि में जमा किए जायेंगे और यदि राज्य विधान सभा विनियोग से ऐसी व्यवस्था करती है तो राज्य सरकार संग्रहण हेतु व्ययों की कटौती करते हुए ऐसे अग्रिमों को इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु समय–समय पर निधि में जमा कर सकेगी।

5. राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण–

राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग किये जाने पर राज्य सरकार ऐसी धनराशि, जैसा वह आवश्यक समझे, अनुदान या ऋण के रूप में निधि में जमा कर सकेगी।

6. उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि की स्थापना–

(1) शासकीय गजट में अधिसूचित ऐसी तिथि जैसा राज्य सरकार इस हेतु निश्चित करे, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक निधि की स्थापना करेगी जिसे उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि कहा जायेगा।

(2) निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी :-

(क) धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्राप्त धनराशि;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अपने कृत्यों को करने या इस अधिनियम के प्रशासन से प्राप्त धनराशि;

(ग) राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार या इसकी एजेन्सी द्वारा विकसित की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं, विद्युत निकासी तंत्र तथा पारेषण तंत्र विस्तार आदि हेतु प्राप्त कोई निधि।

(3) वित्तीय वर्ष के अन्त में निधि में जमा अवशेष व्यपगत नहीं होगा।

7. निधि का उपयोग–

निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :

(1) राज्य सैक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास;

(2) विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विकास;

(3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसे राज्य सरकार समय–समय पर शासकीय गजट में अधिसूचित करें।

8. लेखा एवं लेखा परीक्षा–

(1) राज्य के महालेखाकार के परामर्श से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूपों में निधि से उन्हें आवंटित राशि सम्बन्धी समुचित

लेखे एवं संगत अभिलेख रखेंगे तथा लाभ–हानि एवं तुलन–पत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य के महालेखाकार द्वारा उस अन्तराल में की जायेगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट की जाय।

अध्याय–III

उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन

9. निधि को प्रशासित करने हेतु राज्य सरकार की शक्ति–

राज्य सरकार को निधि को प्रशासित करने की निम्नलिखित शक्ति होगी और वह,

(क) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विकास आदि सम्बन्धी निर्णय लेगी;

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु धन जुटाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी;

(ग) सम्बन्धित विभागों और/अथवा संस्था को जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार हो, यथा–आवश्यक धनराशि आवंटित व संवितरित करेगी :

(1) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए;

(2) विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विस्तार आदि के लिए।

10. राज्य सरकार के कृत्य–

राज्य सरकार निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगी :

(1) राज्य क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं, विद्युत निकासी तंत्र का विकास तथा पारेषण तंत्र का विस्तार, आदि के क्रियान्वयन के लिए निधि का प्रशासन व प्रबन्धन;

(2) निधि से आवंटित समस्त धनराशि के समयान्तर्गत उपयोग का संकलन एवं समन्वय;

(3) उन मामलों से सम्बन्धित व्यय की स्वीकृति जिनके लिए उपर्युक्त धारा 10 की उपधारा (1) में व्यवस्था की गई है।

11. नियम बनाने की शक्ति–

शासकीय गजट में अधिसूचित करते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बना सकेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

क्या इस पर कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं?

(किसी भी माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा।)

खण्ड–2 तथा खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या , वर्ष 2003)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

मूल अधिनियम की धारा-2 का संशोधन

2. उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा-2 में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2003 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द "30 जून, 2004 तक" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 तथा खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल छः सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सबको अस्वीकार कर रहा हूँ।

अब हम उठते हैं, सोमवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 32 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

देहरादून :

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्र0 सं0–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ–7 पर)

जनपद टिहरी, उत्तरांचल राज्य में (25–28 मई, 2003) में बुखार के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट

1. समाचार–पत्रों के माध्यम के क्रम में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली द्वारा दिनांक 25 से 28 मई, 2003 की अवधि हेतु एक जाँच दल की तैनाती की गई।
2. कुल 3102 केसेज एवं 28 मृत्यु रिपोर्ट 30 अप्रैल से 27 मई, 2003 की अवधि में की गई। अधिकतर मृत्युयें क्रोनिक अस्वस्थता या बुढ़ापे के कारण हुई। क्लीनिकल रिपोर्ट के अनुसार बुखार के साथ अपर रिसपेरेटरी ट्रेक इन्फेक्शन पाया गया। जनपद टिहरी में 3 सटे हुये विकास खण्ड प्रतापनगर, भिलंगना तथा जाखणीधार इससे प्रभावित हुए।
3. मई, 2003 में बीमारी की मारक क्षमता समुदाय में 11.8–24.9% तक बढ़ी। इसका प्रभाव सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा, बच्चों एवं वृद्धों में यह बीमारी ज्यादा पाई गई।
4. राष्ट्रीय संचारी रोग प्रयोगशाला द्वारा जितने भी रक्त/सीरम नमूनें जांच किये गये उनमें इन्फ्लूएन्जा टाइप बी वायरस के विरुद्ध एन्टीबाडीज का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। राष्ट्रीय संचारी रोग प्रयोगशाला द्वारा दो गले के स्वाब के नमूनों से इन्फ्लूएन्जा बी वायरस को पृथक किया गया और उसका पुनः ऐलीसा एन्टीजन टेस्ट द्वारा प्रमाणीकरण किया गया।
5. राज्य/जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में क्षेत्रीय चिकित्सा दलों को तैनात करते हुये त्वरित निरोधात्मक कार्यवाही प्रथम प्रभावित केस से शुरू की गई और क्षेत्र में बुखार के रोगियों की छानबीन कर रिपोर्टिंग शुरू की गई।
6. बुखार के दौरान राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा साथ–साथ फोलोअप कार्यवाही की गई। राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अन्तिम एक सप्ताह से सर्वेलेन्स रिपोर्ट शून्य ग्रसित केसेज दिखाते हुए प्राप्त की गई।
7. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा एपीडिमियोलोजिकल जांच के पश्चात् मई, 2003 के बुखार का कारण इन्फ्लूएन्जा बी वायरस का संक्रमण पाया गया। एक माह के अन्दर बीमारी की मारक क्षमता समुदाय में 19.7% पायी गई। इसका प्रभाव सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा बच्चों एवं वृद्धों में यह बीमारी ज्यादा पाई गई तथा रोग वायु के द्वारा संक्रमित हुआ।
8. स्वास्थ्य कर्मियों एवं जनता को सलाह दी गई कि इसके खतरनाक संक्रमण से बचाने के लिये खाँसते एवं छींकते हुए मरीजों से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दी गई।
9. यह भी सुझाव दिया गया कि बीमारी की सही पहचान कर समान रूप से एक ही रोग के रोगियों की रिपोर्टिंग की जाय तथा उसकी पुनरावृत्ति न की जाय।

जनपद टिहरी, उत्तरांचल राज्य में (25–28 मई, 2003) में बुखार के सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट

भूमिका :

समाचार–पत्र "हिन्दू" दिनांक 17 मई, 2003 एवं स्टारवार समाचार दिनांक 20 मई, 2003 के माध्यम के क्रम में अतिरिक्त महानिदेशक एवं निदेशक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली द्वारा एक दल जिसमें डा० ए० के० खेरा, संयुक्त निदेशक, एपीडिमियोलोजी अनुभाग एवं डा० सोमनाथ करमाकर, उप निदेशक, मायक्रोवायलोजी अनुभाग को दिनांक 25 से 28 मई, 2003 की अवधि हेतु जनपद टिहरी उत्तरांचल में बुखार संक्रमण की जाँच हेतु तैनात किया गया।

उद्देश्य :

सभी जाँचों के उद्देश्य निम्न थे:–

1. प्रभावित क्षेत्र में रोग की गम्भीरता की स्थिति का आंकलन।
2. बुखार के संक्रमण का सम्भावित कारणों का पता लगाना।
3. स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा करना।
4. रोग के बचाव एवं निरोधात्मक कार्यवाही हेतु आगे के लिये सुझाव देना ताकि रोग शीघ्र नियन्त्रण में आ जाय।

विधि :

टीम ने निम्नलिखित विधियां बुखार के केसों की जाँच हेतु अपनाई :–

1. भ्रमण के दौरान राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारियों से परामर्श एवं विचार विमर्श किया गया और उनके नामों की सूची एनेक्जर–1 में अंकित है।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस समय प्रभावित क्षेत्र के उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा की गई।
3. प्रभावित क्षेत्रों में से कुछ ग्रामों को छांटकर उन ग्रामों का तुरन्त सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया।
4. विस्तारपूर्वक प्रत्येक रोगी के बारे में जांच प्रारम्भ की गई।
5. प्रयोगशाला हेतु समुदाय से रक्त एवं गले के स्राव के नमूने एकत्रित किये गये।
6. उपलब्ध आंकड़ों का एपीडिमियोलोजिकल विश्लेषण किया गया।
7. क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान एकत्रित किये गये नमूनों का प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया।

जांच दल द्वारा निम्न स्थानों का भ्रमण किया गया

प्रतापनगर ब्लाक	अतिरिक्त प्रा० स्वा० के० लमगांव, क्वारी गांव माजफ महिला चिकित्सालय माजफ गांव प्रतापनगर ब्लाक प्रा० स्वा० के० मिसरन गांव
भिलंगना ब्लाक	प्रा० स्वा० के० पिलखी, बूढ़ाकेदार गांव

आंकलन :

1. जनपद टिहरी उत्तरांचल राज्य के 13 जिलों में से एक जिला है। जिले की जनसंख्या 6,04,608 है तथा जनसंख्या घनत्व 131 पर वर्ग कि0 मीटर है। जिले की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जिले को नौ विकास खण्डों में बांटा गया है।

2. जनपद टिहरी में 3 सटे हुए विकास खण्ड प्रतापनगर, भिलंगना तथा जाखणीधार इससे प्रभावित हुए। कुल 3102 केसेज एवं 28 मृत्युओं की रिपोर्ट 30 अप्रैल से 27 मई, 2003 की अवधि में की गई विकास खण्डवार बुखार के रोगियों की संख्या एवं मृत्यु का विवरण नीचे तालिका–1 में दर्शाया गया है:

तालिका–1

बुखार के दौरान 30 अप्रैल से 28 मई, 2003 तक बुखार के रोगी एवं मृत्यु का विकास खण्डवार विवरण

ब्लाक	केसेज	मृत्यु	जनसंख्या
प्रतापनगर	2379	20	82891
भिलंगना	636	5	107452
जाखणीधार	87	3	52022
योग	3102	28	222365

3. दिनांक 28 अप्रैल से 27 मई के बीच मृत्यु हुए व्यक्तियों की रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि 50 प्रतिशत मृत्यु 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हुई जिसमें महिलाओं की अधिक थी। इसी क्रम में मौखिक रूप से पूछताछ करने पर जिला स्तरीय अधिकारी से ज्ञात हुआ कि 42.3 प्रतिशत मृत्यु पहले से मौजूद लम्बी बीमारी के कारण हुई थी, 38.5 प्रतिशत मृत्यु स्वाभाविक कारणों से हुई थी तथा 19.2 प्रतिशत मृत्यु बुखार के संक्रमण से हुई। राज्य एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से वार्ता के पश्चात् यह पाया गया कि ज्यादातर मृत्यु बुखार के कारण नहीं हुई थी :

तालिका–2

बुखार के दौरान 30 अप्रैल से 28 मई, 2003 तक मृत्यु रिपोर्ट का उम्र और लिंग का विवरण

आयु सीमा	पुरुष	महिला	योग
0–1	1	0	1 (3.6%)
2–4	0	1	1 (3.6%)
5–14	1	3	4 (14.3%)
15–44	2	2	4 (14.3%)
45–60	2	1	3 (7.1%)
60 से ऊपर	4	11	15 (53.6%)
योग	10 (35.7%)	18 (64.3%)	28 (100%)

4. प्रतापनगर ब्लाक के एक गांव में त्वरित सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश रोगियों में बुखार, खाँसी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खरास एवं कमजोरी पायी गयी, अधिकांश केसेज में रोगियों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बीमारी की समयावधि अधिकतर केसों में 7 से 10 दिन पायी गयी। एक गांव के तुरन्त सर्वे में जो क्लीनिकल प्रोफाइल मिला उसको तालिका नम्बर 3 में दर्शाया गया है :

तालिका–3

बुखार के दौरान ग्राम क्यारी, विकास खण्ड प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल का क्लीनिकल प्रोफाइल

लक्षण	नम्बर	प्रतिशत
बुखार	30	100
खांसी	26	86.7
बदन दर्द एवं सिर दर्द	4	13.3
गले का खरास	4	13.3
डायरिया	2	6.7
योग	30	100

5. दो प्रभावित ब्लाक के चार गांव में त्वरित सर्वेक्षण यह जानने के लिए किया गया कि बीमारी की भयाभयता क्या है और जिस गांव में टीम द्वारा भ्रमण किया गया और जो सर्वे के दौरान पाया गया का विवरण तालिका नम्बर 4 में दर्शाया गया है :

तालिका–4

टीम द्वारा गांवों का विस्तृत सर्वेक्षण

गांव का नाम	ब्लाक	भ्रमण किये गये घरों की संख्या	सर्वे की गई जनसंख्या	आखिरी एक माह में जांच किये गये बुखार के केसों की संख्या	आक्रमण दर (प्रतिशत में)
क्यारी	प्रतापनगर	25	142	33	23.2
मिसराम	प्रतापनगर	40	199	30	15.1
माजफ	प्रतापनगर	50	321	80	24.9
बूढ़ाकेदार	भिलंगना	30	161	19	11.8
योग		145	823	162	19.7

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि सभी संक्रमित बुखार के केसेज सभी आयु वर्ग में धीरे–धीरे ऊपरी मारक क्षमता दर अग्रसर है। इसका विस्तृत विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

तालिका–5

बुखार के केसेज की किसी एक गांव की आयु एवं सेक्स के अनुसार मारक क्षमता दर

आयु सीमा	कुल सर्वे की गई जनसंख्या			कुल केसेज (मारक क्षमता दर प्रतिशत में)		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग प्रतिशत में
0–4	7	9	16	2	3	5 (31.2)
5–14	13	17	30	3	3	6 (20.0)
15–44	27	38	65	3	11	14 (21.4)
45–60	12	11	23	2	2	4 (17.3)
60 से ऊपर	6	2	8	3	1	4 (50)
योग	65	77	142	13 (20%)	20 (26.6%)	33 (23.2)

समय चक्र विश्लेषण एक गांव की केसेज रिपोर्ट में यह दर्शाता है कि बीमारी में प्रोपेगेटिव तरह की स्पीड थी। समयग्राफ नीचे दिखाया गया है।

चित्र–1

प्रतापनगर विकास खण्ड, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल के एक गांव का दिनांक अनुसार केसेज का समयचक्र

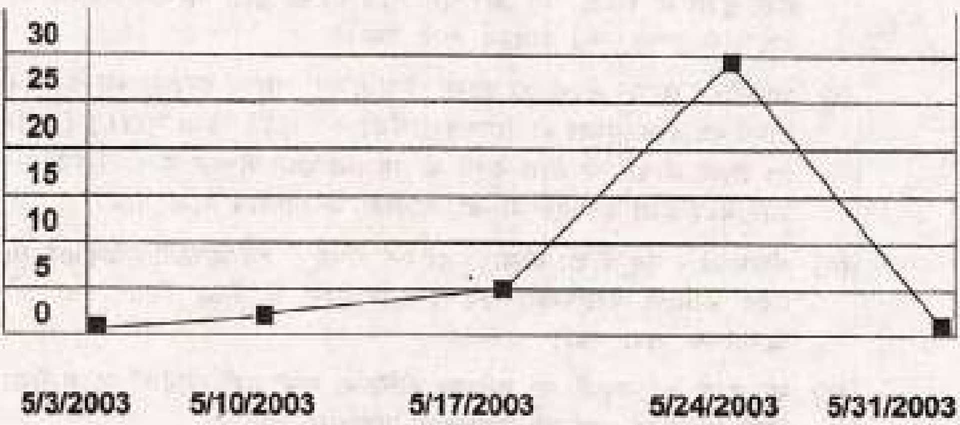

6. प्रतापनगर प्रा0 स्वा0 केन्द्र एवं अन्य चिकित्सालयों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं विगत वर्षों एवं पूर्व माहों के टीम द्वारा विजिट किये गये पत्र–व्यवहार से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हुए। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार केसों की संख्या में कमी पाई गई जो तालिका–6 में दर्शायी गयी है :

तालिका–6

प्रा0 स्वा0 के0 प्रतापनगर ब्लाक, जिला टिहरी गढ़वाल सप्ताहवार बुखार स्थिति

सप्ताहान्त	प्रतापनगर ब्लाक		माजफ चिकित्सालय	लमगांव चिकित्सालय
	ओ0पी0डी0 बुखार केसेज	बुखार केसेज फील्ड टीम द्वारा	बुखार केसेज	बुखार केसेज
7–05–2003	73	480	132	33
14–05–2003	134	560	218	49
21–05–2003	89	324	137	64
28–05–2003	33	293	24	41

7. विभिन्न क्लीनिकल सामग्री का विस्तृत लेब्रोटरी विश्लेषण राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान नई दिल्ली में ले जाया गया–

(अ) पांच गले के स्वाव के नमूने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वायरस को पृथक करने के लिये एकत्रित किये गये थे। वायरस पृथक करने के लिये एगइनोकुलेशन तथा टिशु कल्चर विधि द्वारा जांच किये जाने पर भी दो नमूने इन्फ्लूएन्जा वायरस के पाये गये। इसका पुष्टिकरण हीमएग्लूटिनेशन टैस्ट द्वारा भी किया गया और पुनः एलिजाटेस्ट द्वारा विश्लेषण करने पर टाइप बी इन्फ्लूएन्जा वायरस पाया गया।

(ब) 30 सीरम सैम्पल में से 23 सीरम सैम्पल का परीक्षण इन्फ्लूएन्जा–ए, सब टाइप एवं इन्फ्लूएन्जा बी वायरस इन्फेक्शन के लिये किया गया। इन सभी 23 सीरम सैम्पल के टेस्ट करने के उपरान्त सभी सैम्पल में एन्टीबाडी का स्तर बढ़ा हुआ इन्फ्लूएन्जा–बी, वायरस के विपरीत पाया गया।

(स) सीरम के 6 नमूनों का मौलीक्यूलर एवं 3 नमूनों का आर0टी0पी0सी0आर0 टैस्ट परीक्षण पैरामिक्सों एवं इन्टरोवायरस के लिये किया गया जो ऋणात्मक पाया गया।

(द) सीरम के 10 नमूनों का परीक्षण मीजिल्स एन्टीबाडी आईजीएम, एलीजा विधि से किया गया जो ऋणात्मक पाया गया।

(य) कुल 35 रक्त पट्टिकाओं का मलेरिया परजीवी हेतु परीक्षण किया गया जो ऋणात्मक पाया गया।

(घ) 28 गले के स्वाव के नमूनों का बेक्टीरियल जीवाणु कल्चर टेस्ट किया गया जिसमें एक नमूने में स्टेफिलोकोकस औरियस पाया गया बाकी सभी नमूने ऋणात्मक पाये गये।

प्रयोगशाला के परिणामों का विस्तृत परिणाम एनेक्जर–2 में दर्शाया गया है।

8. राज्य एवं जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा प्रभावित विकास खण्डों में चिकित्सा दलों की तैनाती कर निरोधात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी। प्रतापनगर विकास खण्ड में 6 सेक्टर दल, भिलंगना विकास खण्ड में 5 सेक्टर दल एवं नन्द गांव विकास खण्ड में 4 सेक्टर टीमें थी। प्रत्येक सेक्टर टीम में एक चिकित्सक पैरामेडिकल स्टॉफ के साथ मौजूद थे। क्षेत्रीय दलों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए विकास खण्ड मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित कर रहे थे।

9. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की टीम द्वारा राज्य एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ।

निष्कर्ष :

जनपद टिहरी गढ़वाल में मई, 2003 में बुखार के दौरान इपीडिमियोलोजीकल जाँच के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली द्वारा इन्फ्लूएन्जा–बी वायरस का प्रकोप पाया गया। एक माह के अन्दर समुदाय में बीमारी की मारक क्षमता 19.7 प्रतिशत दिखाई दी। इसका प्रभाव सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों पर पड़ा। बच्चों तथा वृद्धों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा, रोग वायु के द्वारा संक्रमित हुआ।

सलाह :

टीम द्वारा निम्न सलाह दी गई–

1. जनता/स्वास्थ्य स्टॉफ को व्यक्तिगत स्वच्छता, खाँसी एवं छींकों से बचाव हेतु शिक्षित किया जाय।

2. सर्वेलेन्स सिस्टम को इस तरह मजबूत किया जाय कि रिपोर्टिंग सही हो तथा उसमें डुपलीकेसी न हो तथा रिपोर्टिंग में एकरूपता हो।

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के टीम के साथ उत्तरांचल से सहयोगियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	सम्पर्क नम्बर
1	2	3	4
1.	डा0 आई0एस0 पाल	महानिदेशक, चि0 स्वा0	0135–2720311
2.	डा0 ओ0एस0 शर्मा	अपर निदेशक	0135–2725583
3.	डा0 एस0 दत्ता	स्टॉफ ऑफिसर	0135–2725583
4.	डा0 आर0सी0 आर्या	अपर निदेशक	0135–2623485
5.	डा0 जे0पी0 नेगी	मु0चि0अ0 टिहरी	01376–232093
6.	डा0 डी0पी0 सिंह	उप मु0चि0अ0 टिहरी	01376–232893

1	2	3	4
7.	डा0 जी0डी0 डिमरी	उप मु0चि0अ0 टिहरी	01376–232093
8.	डा0 यू0एस0 चौहान	प्र0चि0अ0, एस0ए0डी0 लमगांव	–
9.	डा0 बी0एस0 रावत	प्र0चि0अ0, प्रा0स्वा0के0 माजफ	–
10.	डा0 जी0पी0 सिंह	प्र0चि0अ0, प्रा0स्वा0के0 प्रतापनगर	01379–262321
11.	डा0 एस0पी0 त्रिपाठी	प्र0चि0अ0, प्रा0स्वा0के0 पिलखी	–
12.	डा0 एरन	चि0अ0	–

बुखार की अवधि में लिये गये नमूनों का विवरण

क्र0 सं0	लैब संख्या	नाम	उम्र / लिंग	खसरा आईजीएम	इन्फलूएन्जा		
1.	टीए 1	श्रीमती दिलादेवी	52 / महिला	ऋणात्मक	1:16	1:16	>1:16
2.	टीए 2	श्री भारत सिंह	35 / पुरुष	–	1:8	1:2	1:28
3.	टीए 3	श्रीमती संगीता	27 / महिला	–	1:4	1:8	>1:64
4.	टीए 4	श्रीमती इन्द्रा देवी	60 / महिला	–	1:32	1:64	>1:64
5.	टीए 5	श्रीमती पुष्पादेवी	30 / महिला	–	1:32	1:8	>1:64
6.	टीए 7	श्रीमती ममता	21 / महिला	–	1:32	1:16	>1:64
7.	टीए 10	कु0 रीना	10 / महिला	ऋणात्मक	1:32	1:32	>1:64
8.	टीए 11	श्री कैलाश	32 / पुरुष	ऋणात्मक	1:16	1:32	>1:64
9.	टीए 12	श्रीमती सुन्दरदेवी	18 / महिला	ऋणात्मक	1:16	1:64	>1:128
10.	टीए 13	श्रीमती पिनंलादेवी	32 / महिला	ऋणात्मक	1:16	1:8	>1:64
11.	टीए 14	श्री भोलादास	46 / पुरुष	–	1:32	1:32	>1:64

बुखार अवधि में जनपद टिहरी गढ़वाल में विभिन्न ग्रामों से लिए गये सिरोलोजिकल परिणामों का विवरण

क्र0 सं0	लैब संख्या	नाम	नमूने एकत्रीकरण का दिनांक	नमूने का प्रकार (कोल्डचैन सिस्टम के अन्तर्गत)	सिरोलोजीकल परिणाम मीजिल्स, इन्फलूएन्जा एच1 एन1 एच3 एन2बी
1	2	3	4	5	6
12.	टीए 15	भरत सिंह	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:8, 1:16, 1:5

1	2	3	4	5	6
13.	टीए 16	रामप्यारी	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:16, 1:16, >1:64
14.	टीए 17	सुन्दरादेवी	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:16, 1:16, >1:64
15.	टीए 18	शैला	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:8, 1:8, 1:512
16.	टीए 19	अंजु	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:8, 1:16, >1:512
17.	टीए 20	प्रेम सिंह	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	इन्सीफ्यूसेन्ट मात्रा के कारण जांच नहीं की गई
18.	टीए 22	किशोरी	27.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:8, 1:16, 1:64
19.	टीए 23	सीमा	27.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:64, 1:16, 1:16
20.	टीए 25	कृष्णा	27.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	ऋणात्मक 1:64, 1:4, 1:256
21.	टीए 27	यशोदा पत्नी श्री गबर सिंह 21 एफ	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:16, 1:8, 1:64
22.	टीए 28	रीना पुत्री श्री महावीर 13 एफ	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:8, 1:8, >1:64
23.	टीए 30	कविता पुत्री श्री कुंवर सिंह 12 एफ	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:8, 1:32, >1:64
24.	टीए 32	सीता पुत्री श्री दर्शन लाल 12 एफ	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:64, 1:8, >1:64
25.	टीए 34	छवि देवी पत्नी श्री विजय सिंह 42 एफ	26.5.2003	वायरल अध्ययन के लिए सीरम	– 1:64, 1:8, 1:64

टिप्पणी– इन्फ्लूएन्जा वायरस के विपरीत अधिक एन्टीबॉडी टीटर पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हाल ही में इन्फ्लूएन्जा वायरस संक्रमण होने का प्रमाण

है। दूसरा सीरम सैम्पल पुष्टि के लिए भेजा जा सकता है। वायरस को आइसोलेट करके परिणाम निकट भविष्य में प्रेषित किया जायेगा।

(आर0 के0 अग्रवाल)
उप निदेशक।

परामर्शदाता (माइक्रो)
अतिरिक्त निदेशक (जन स्वास्थ्य)
एवं विभागाध्यक्ष (एपीडेमोलोजी)

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0–58 का उत्तर पीछे पृष्ठ–38 पर)

उत्तरांचल कृषि नीति : रूप रेखा

परिचय :

उत्तरांचल प्रदेश का उदय देश के 27वें राज्य के रूप में 9 नवम्बर, 2000 को हुआ। इसके गठन के मूल में अवधारणा थी कि राज्य की आर्थिक वृद्धि की गति को उचित प्रशासकीय, तकनीकी एवं जन–सहभागी तंत्र के विकास के द्वारा गति प्रदान की जाये।

उत्तरांचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जिसकी जनसंख्या वर्तमान में लगभग 84,79,562 (वर्ष 2001) है। प्रदेश की मूल आर्थिक व्यवस्था मुख्यतया कृषि एवं वानिकी पर आधारित है तथा इसके विकास की प्रचुर संभावनाएँ अनुभव की जा रही हैं। मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होने के कारण उत्तरांचल राज्य में न केवल कृषि में पर्याप्त विविधता है अपितु उत्पादन एवं उत्पादकता में भी काफी अन्तर है। उदाहरणार्थ, धान्य फसलों की पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादकता 13.05 कु0/है0 है जो कि मैदानी क्षेत्रों के 28.4 कु0/है0 की तुलना में आधे से भी कम है। इसी प्रकार दलहनों की उत्पादकता पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में लगभग 80.0 प्रतिशत है। मैदानी क्षेत्रों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों में धान, गेहूँ एवं गन्ना प्रमुख हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में फसल उत्पादन मात्र जीविका का साधन है जबकि कृषि के विविधीकरण द्वारा औद्यानिकी, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, औषधीय एवं सुगंधित पौधों, जड़ी बूटियों, मशरूम तथा पशुपालन आदि के द्वारा कृषि को आर्थिक विकास तथा आय का प्रमुख स्रोत बनाया जा सकता है।

उत्तरांचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों तथा पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कृषि नीति का यह प्रारूप तैयार किया गया है।

वर्तमान स्थिति :

उत्तरांचल राज्य कृषि जलवायु की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा वर्गीकृत जोन्स में से जोन नं0 9, तथा जोन नं0 14 का भाग है। इस राज्य में मैदानी जिलों जैसे कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार का तराई भावर क्षेत्र तथा देहरादून के कुछ भाग हैं, वहीं पर्वतीय जिलों–देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल का विशाल भूभाग है। विभिन्न ऊँचाइयों पर पाई जाने वाली सस्य दशाओं के कारण फसलों में काफी विविधता पाई जाती है। कृषि राज्य की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। यद्यपि प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, परन्तु क्षेत्रीय विषमतायें, असंतुलन एवं पोषण की गम्भीर समस्याएं हैं। प्रदेश का क्षेत्रफल हिमालय की तराई से लेकर बर्फ आच्छादित पहाड़ियों तक फैला हुआ है जिसके कारण प्रदेश की जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप यहां पर अनेक तरह की सस्य दशायें मौजूद हैं। प्रदेश को कृषि–जलवायिक दृष्टि से समुद्र तल से ऊँचाई के आधार पर निम्नलिखित खण्डों में विभाजित किया जा सकता है :

- खण्ड "क" (1000 मीटर तक)
- खण्ड "ख" (1000 से 1500 मीटर)
- खण्ड "ग" (1500 से 2400 मीटर तक)
- खण्ड "घ" (2400 मीटर से अधिक)

इन क्षेत्रों की जलवायु में काफी भिन्नता है जो विशेष रूप से अमुक स्थान की समुद्र तल से ऊँचाई, ढाल की दिशा तथा उसकी बर्फीली चोटियों की श्रृंखला से दूरी पर निर्भर करती हैं। इन सभी में स्थान की ऊँचाई मुख्य है। ऊँचे स्थान अधिक ठन्डे होते हैं। इसी प्रकार उत्तरमुखी ढाल दूसरे ढालों की अपेक्षाकृत अधिक ठन्डे रहते हैं। वे स्थान जो बर्फीली चोटियों के समीप होते हैं वहां उन स्थानों के अपेक्षाकृत अधिक ठन्डक पड़ती है, जो इन चोटियों से दूर होते हैं, चाहे ऊँचाई एक ही क्यों न हो। जलवायु की भिन्नता को देखते हुए उपोष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार के फल उगाये जा सकते हैं।

खण्ड "क" के अन्तर्गत प्रदेश का मैदानी, तराई–भाबर, शिवालिक पहाड़ियाँ तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच का घाटी क्षेत्र आता है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहनी एवं तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। परन्तु इस क्षेत्र में भी जलवायु विषमता के कारण फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा विभिन्न फसलों की प्रजातियाँ भिन्न हैं। इस क्षेत्र में आम, लीची, पपीता, अमरूद आदि उपोष्ण फलों की खेती की जाती है।

खण्ड "ख" में बहुत बड़ा भाग असिंचित खेती का है, जिसमें मुख्य रूप से दो वर्षीय फसल चक्र अपनाया जाता है। मार्च में धान की बुवाई की जाती है जिसे सितम्बर में काटा जाता है। इसके बाद अक्टूबर में गेहूँ लगाकर उसे मई में काटने के बाद मंडुवा तथा अन्य फसलों की शुद्ध अथवा दालों के साथ मिश्रित फसल ली जाती है। जो भूमि धान के लिए अनुपयुक्त होती है, उनमें झंगोरा या मादिरा लगाया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आड़ू, नाशपाती, खुबानी आदि फलों की खेती की जाती है।

खण्ड "ग" में रबी फसलें नहीं होती केवल खरीफ की ही फसलें ली जाती हैं, जिनमें चुआ–मारछा, उगल–फाफर, जौ तथा आलू प्रमुख हैं। यह क्षेत्र औद्यानिक, सब्जी, फूलों की खेती, औषधीय एवं सुगंधित फसलों, मसालों की खेती आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

खण्ड "घ" में कृषि नहीं होती है, जो मुख्य रूप से चारागाह है। यह प्रक्षेत्र अल्पाइन जोन में आता है। अतः इस क्षेत्र के विकास के लिए एक अल्पाइन जोन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कर, अल्पाइन पाश्चर विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जायेगा। जिससे क्षेत्र में चारा उत्पादन, चारागाह विकास, भेड़, बकरी व पशुधन विकास की योजनाओं को बल मिलेगा जो क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।

यह प्रक्षेत्र दुर्लभ जड़ी–बूटियों के प्राकृतिक उत्पादन हेतु भी उपयुक्त है, जिनके संरक्षण व उत्पादन के लिए उचित संसाधनों व नीति निर्धारण की आवश्यकता है ताकि वांछित रूप से इनका उत्पादन हो सके।

इस क्षेत्र में उपलब्ध तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में भोजपत्र, फुनेर, दालचीनी, कपासी व बाँज (मोरू), देवदार आदि लगाकर पर्यावरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः यह क्षेत्र भी प्राकृतिक उत्पादों द्वारा आय का स्रोत बन सकता है। जहां भूमि अत्यधिक पथरीली न हो वहां सेब, खुमानी, अखरोट, चिलगोजा आदि फलों का उत्पादन भी किया जा सकता है।

पर्वतीय भूमि की उर्वरता सामान्यतः कम होती है जिसका कारण मृदा कणों का पथरीला होना, जल तथा पोषक तत्व धारण की कम क्षमता होना आदि है। कृषि का बहुत बड़ा भू–भाग वर्षा पर आधारित होने के कारण मौसम की विभीषिकाओं से संवेदनशील हैं। कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र लगभग 12 प्रतिशत ही सिंचाई के साधनों से युक्त है। लगभग 90 प्रतिशत कृषि सकल भूमि खाद्यानों के उत्पादन में काम आती है। प्रदेश में अन्य फसलों जैसे तिलहन, सब्जी, फलों, चारा आदि के अन्तर्गत अपेक्षाकृत क्षेत्रफल काफी सीमित है जिसके कारण किसानों को नकदी फसलों तथा उपक्रमों के संचालन में कठिनाइयां आती हैं। प्रदेश की वर्तमान स्थिति को संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दुओं से दर्शाया जा सकता है :–

- प्रदेश का कुल क्षेत्र 53,483 वर्ग कि0मी0 है जिसकी जनसंख्या लगभग 84,79,562 है।
- प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था मूलतः कृषि एवं वानिकी पर आधारित है। प्रदेश में 95 विकास खण्ड एवं 15620 गांव हैं।
- पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है।
- प्रदेश में सीमांत एवं लघु कृषकों का बाहुल्य है तथा औसत जोत का आकार 0.8 हे0 है जो कि बिखरी हुई है। इसी कारण कृषि से वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 55,93,342 हेक्टेयर है जिसमें से 35,01,285 हेक्टेयर वनाच्छादित है।
- प्रदेश में शुद्ध फसल आच्छादित क्षेत्रफल 7,81,298 हेक्टेयर है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का भाग 56.8 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्र का भाग 43.2 प्रतिशत है।
- प्रदेश में 4,58,349 हेक्टेयर क्षेत्र में एक से अधिक बार बोआई की जाती है। जिसमें से मैदानी भागों का क्षेत्रफल 2,02,387 हेक्टेयर तथा पर्वतीय भागों का क्षेत्रफल 2,55,962 हेक्टेयर है।
- प्रदेश की फसल सघनता 158.7 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पर्वतीय तथा मैदानी भागों की फसल सघनता में कोई विशेष अन्तर नहीं है।
- प्रदेश में बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत 2,99,114 हेक्टेयर क्षेत्र है जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 5.34 प्रतिशत है। परन्तु इस भूमि का 98 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- वृक्ष एवं झाड़ियों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल 2,19,134 हेक्टेयर है।

- स्थायी चारागाह का क्षेत्रफल 2,27,324 हेक्टेयर है जिसमें से 99.4 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में है।
- वर्तमान परती भूमि का क्षेत्रफल 11,102 हेक्टेयर तथा अन्य परती भूमि का क्षेत्रफल 67,007 हेक्टेयर है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। सिंचाई योग्य भूमि का क्षेत्रफल केवल 9.43 प्रतिशत है।
- प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन एवं तिलहन हैं। इसके अतिरिक्त फलों और सब्जियों की भी खेती की जाती है।
- पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का एवं मोटे अनाज (स्यिडो–सीरियल सहित) हैं। इसके साथ फलों, सब्जियों एवं फूलों की खेती की जा रही है।
- आलू प्रदेश की मुख्य सब्जी की फसल है जिसके अन्तर्गत 15,238 हे0 क्षेत्रफल है। जिसमें से 13,678 हे0 पर्वतीय क्षेत्र में एवं 1,560 हे0 मैदानी क्षेत्रों में है। प्रदेश में इसका कुल उत्पादन 3,46,206 मै0 टन है तथा उत्पादकता 22.72 मै0 टन प्रति हे0 है।
- उत्तरांचल के मैदानी भागों में गन्ना एक नकदी फसल है जिसके अन्तर्गत 1,14,053 हे0 क्षेत्रफल है। इसकी उत्पादकता 62 मै0 टन प्रति हेक्टेयर है।
- प्रदेश में फलों का 1,89,034 हे0 क्षेत्रफल है जिसका कुल उत्पादन 4,84,000 मै0 टन है। फलों की औसत उत्पादकता 2.56 मै0 टन प्रति हेक्टेयर है।
- प्रदेश में सकल सब्जियों का कुल क्षेत्रफल 67,281 हे0, उत्पादन 4,03,200 मै0 टन तथा उत्पादकता 5.99 मै0 टन प्रति हे0 है।
- प्रदेश में अनुकूल जलवायु के कारण शीतोष्ण सब्जियों के बीज उत्पादन हेतु असीम सम्भावनायें हैं।
- प्रदेश में विभिन्न फूलों जैसे गुलाब, ग्लेडुलाई, गेंदा, डहेलिया आदि के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 199 हे0 है तथा उत्पादन 246 मै0 टन है।
- फूल उत्पादन हेतु पर्याप्त सम्भावनायें हैं।
- प्रदेश में मसालों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 5,343 हे0 तथा उत्पादन 22,930 कु0 है।
- रेशम कीट, मौनपालन, अंगोरा खरगोश पालन, मशरूम उत्पादन आदि की प्रबल सम्भावनायें हैं।
- प्रदेश में संस्थागत ढांचा एवं आधारभूत सुविधायें सीमित हैं। कृषि हेतु ऋण की उपलब्धता एवं उपयोगिता अपर्याप्त है।
- विद्युत उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद गांवों में विद्युत आपूर्ति आवश्यकतानुसार नहीं हो पा रही है।
- जंगलों से घिरे होने के कारण फसलों में जंगली पशुओं जैसे बन्दर, जंगली सुअर, भालू, साही, चूहों, चिड़ियों आदि से बहुत अधिक क्षति पहुँचती है।

- प्रदेश में पशुओं की संख्या अधिक है परन्तु उनकी उत्पादन क्षमता अत्यधिक कम है। पूरे प्रदेश में 46.08 लाख पशु तथा 9.5 लाख कुक्कुट हैं। इनमें से 20.31 लाख गौपशु, 10.94 लाख भैंस, 3.11 लाख भेड़ तथा 10.86 लाख बकरियां हैं। घोड़े, टट्टू एवं खच्चरों की संख्या लगभग 48.25 हजार है। प्रतिशत के हिसाब से गौपशु, भैंस, भेड़ तथा बकरियां क्रमशः 44.1, 23.7, 6.7 तथा 23.6 प्रतिशत हैं।
- प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय, तीन केन्द्रीय कृषि शोध संस्थान, एक रक्षा कृषि अनुसंधान संस्थान तथा एक कृषि महाविद्यालय है।

प्राथमिकताएं :

1. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तथा विकास की न्यूनतम वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत सुनिश्चत करना होगा।
2. कृषि विविधीकरण करके नकदी फसलों, फल–फूल, सब्जी, औषधीय एवं सुगंधी फसलों, जड़ी–बूटियों, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, रेशम कीट पालन, मौन पालन, खरगोश पालन, कुक्कुट पालन, चाय उत्पादन आदि को प्रोत्साहन दिया जायेगा जिससे ग्रामीण जनता के लिए रोजगार, आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
3. आधारभूत सुविधाओं जैसे कृषि ऋण, फसल बीमा, विपणन केन्द्र, भण्डारण एवं संग्रह केन्द्र, शीत गृह, कूलचेन, खाद्य प्रसंस्करण आदि का विस्तार एवं प्रबन्धन किया जायेगा।
4. पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन में टिकाऊपन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जलागम आधारित भूमि एवं जल प्रबंधन करते हुए कृषि, वानिकी, औद्यानिकी, सब्जी एवं पशुपालन आदि के विकास की उपयुक्त योजनाएं बनाकर उनका नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।
6. कृषि आधारित उद्योगों का विकास एवं कृषि को व्यवसायिक दृष्टि अपनाते हुए रोजगार परख बनाया जायेगा तथा कृषि व्यवसाय को महिलाओं के प्रबन्धन एवं भागीदारी के अनुरूप विकसित किया जायेगा।
7. प्रस्तावित नीति के अनुरूप शोध, शिक्षा, प्रसार एवं संचार कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।
8. अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय बाजारों के अनुरूप कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।
9. कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य निर्धारण एवं विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
10. जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु जनन द्रव्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

11. कृषि में जैव तकनीकों का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न प्रजनन, संवर्धन तकनीकों तथा सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

12. निजी क्षेत्रों में कृषि विनिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कान्ट्रैक्चुअल एवं सहकारिता पर आधारित कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा।

13. बीज एवं पौध रोपण सामग्री के उत्पादन मानक, निर्धारण, गुणवत्ता एवं विपणन तथा वितरण पर विशेष बल दिया जायेगा।

14. कृषि निदान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

15. गन्ना एवं चीनी उद्योग विकास की रणनीति तैयार कर क्रियान्वयन किया जायेगा।

खाद्य उत्पादन एवं पोषण सुरक्षा

खाद्य उत्पादन में वृद्धि :

उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्र (तराई एवं भावर) में प्रमुख रूप से ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार जनपद एवं नैनीताल व देहरादून जनपदों के कुछ भाग आते हैं। कुमाऊँ मण्डल में बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल 3.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में 2.02 लाख हेक्टेयर (54.6 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। गढ़वाल मंडल में बोये गये वास्तविक क्षेत्रफल (2.82 लाख हेक्टेयर) में से हरिद्वार तथा देहरादून जनपदों में 1.76 लाख हेक्टेयर (62.4 प्रतिशत) क्षेत्रफल है। इस प्रकार मैदानी क्षेत्र प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अहम स्थान रखते हैं। इन मैदानी क्षेत्रों में धान, गेहूँ, गन्ना, रेपसीड–मस्टर्ड, सोयाबीन, मसूर, चना आदि प्रमुख फसलें हैं। प्रदेश की खाद्यान्न आवश्यकताओं एवं पोषण को दृष्टिगत रखते हुए इन फसलों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि की निरन्तरता बनाने के सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्तायुक्त प्रमुख कृषि निवेशों जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- कृषि सघनता में वृद्धि की जायेगी।
- मौसम आधारित वैज्ञानिक कृषि हेतु विभिन्न केन्द्रों पर स्वचालित कृषि मौसम यन्त्र स्थापित किये जायेंगे।
- बिखरी हुई जोतों को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी बनाने हेतु चकबन्दी (कन्सालीडेशन) एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी पर बल दिया जायेगा।
- मैदानी क्षेत्रों में कृषि लागत को कम करने की दृष्टि से मशीनीकरण हेतु साधन उपलब्ध कराये जाएंगे।
- कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों में रोकने के उद्देश्य से गैर कृषि भूमि का उपयोग किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के जल संरक्षण एवं उपयोग के लिए जल प्रबंधन हाइड्रम का उपयोग आदि पर बल दिया जायेगा।

- जलागम प्रबंधन के आधार पर पानी एकत्रित कर सिंचाई व्यवस्था की जायेगी।
- संकर एवं उन्नतिशील प्रजातियों के बीज का उत्पादन एवं वितरण पर विशेष बल दिया जायेगा।
- बीज प्रतिस्थापन दर, जो वर्तमान में नगण्य है, को बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों में 15 प्रतिशत किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकतर भूमि में अम्लीयता का स्तर अधिक है। अम्लीयता के सुधार हेतु उचित उपाय किये जायेंगे।
- सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के आधार पर उर्वरता एवं भूक्षरण मानचित्र तैयार किये जायेंगे।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरकों का सन्तुलित प्रयोग बढ़ाने हेतु एकीकृत पादप पोषण एवं आर्गेनिक खेती पर विशेष बल दिया जायेगा।
- जैव उर्वरकों, कम्पोस्ट एवं हरी खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- प्रदेश में उर्वरकों की सुगम उपलब्धता के लिये आवश्यकतानुसार बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
- सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल बढ़ाना आवश्यक है। उचित जल प्रबन्धन हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई को अधिक उपयोग में लाया जायेगा।

दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विकास एवं आपूर्ति :

- उत्तरांचल के तराई एवं भावर क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में तोरिया एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, लेकिन क्षेत्रफल सीमित है। हरिद्वार एवं देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में राई की फसल भी महत्वपूर्ण है। तोरिया एवं पीली सरसों की खेती को तराई क्षेत्र में धान के बाद बढ़ावा दिया जायेगा। तोरिया एवं पीली सरसों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उन्नतिशील प्रजातियों का प्रदर्शन किया जायेगा एवं क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त प्रजातियों एवं सघन सस्य पद्धतियों का विकास किया जायेगा जो कि गुणवत्ता में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे।
- सफेद तिल की खेती को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह बढ़ावा दिया जायेगा एवं शोध कार्य भी प्रारम्भ किया जायेगा। उन्नतिशील प्रजातियों का पर्याप्त बीज उत्पादन किया जायेगा।
- मूंगफली की खेती की पहाड़ों पर काफी सम्भावना है। अतः विभिन्न ऊँचाई के लिए मूंगफली की उन्नतिशील प्रजातियों का विकास किया जायेगा।

उपरोक्त तिलहनी फसलों के साथ–साथ खाद्य तेल देने वाले इन्डीजीनस वृक्षों के समुचित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। चिउड़ा, चुल्लू जैसे अन्य वृक्ष जो कि पहाड़ों में काफी संख्या में उग रहे हैं, आंकलन करके ज्यादा तेल पैदा करने वाले वृक्षों को चिन्हित करके, उनसे अधिक मात्रा में नर्सरी द्वारा सम्बर्धन करके, रोपड़, विकास एवं प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- उर्द, मूँग, सोयाबीन, मद्‌दू, कुल्थी जैसी दलहनी फसलों पर शोध कार्य, और सुदृढ़ किया जायेगा।

- सोयाबीन प्रदेश के भावर एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए नकदी फसल सिद्ध हुई है। इसके उत्पादकता लागत में कमी लाने के लिए कृषि तकनीक का विकास किया जायेगा एवं उत्पादन में निरन्तरता बनाए रखने की दृष्टि से इसके संग्रह, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रतिबंधित कृषि रसायनों एवं हानिकारक कृषि रसायनों को चिन्हित कर इनके उपयोग को हतोत्साहित किया जायेगा।
- रोग तथा कीटों के समेकित प्रबन्धन हेतु उपयुक्त केन्द्रों की स्थापना करके किसानोपयोगी सूचनाएं प्रसारित की जायेंगी।

धान्य फसलों का विकास :

विगत 40 वर्षों में धान–गेहूँ फसल प्रणाली को मैदानी क्षेत्रों में अपनाकर जहाँ उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उसके साथ ही इस प्रणाली के कुछ कुप्रभाव भी सामने उभर कर आये हैं। उत्पादकता दर में क्रमशः ह्रास हो रहा है और उत्पादकता का स्तर बनाए रखने हेतु अपेक्षाकृत अधिक निवेशों की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अतिरिक्त इससे भूमि की दशा, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण भी प्रभावित हुए हैं। इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न पर विशेष बल दिया जायेगा :

- फसल अवशेष, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- धान के संकर बीज को बढ़ावा दिया जायेगा।
- निरन्तर धान–गेहूँ फसल चक्र अपनाने वाले क्षेत्रों में अन्य फसल प्रणाली का समावेश किया जायेगा।
- उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं वृहद प्रसार पर विशेष बल दिया जायेगा।
- धान–गेहूँ फसल प्रणाली में आमतौर पर खेत तैयारी में अधिक समय लगने के कारण गेहूँ की बोआई देर से होती है जिसके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। गेहूँ के खेत की तैयारी हेतु 8–10 जुताइयाँ करनी पड़ती हैं जिससे उत्पादन व्यय काफी बढ़ जाता है। इस पद्धति में खरपतवारों की समस्या भी काफी आती है। इसलिये इन समस्याओं को देखते हुए जीरोटिल फर्टी ड्रिल के प्रयोग पर बल दिया जायेगा।

कृषि यन्त्र :

- प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मशीनीकरण हेतु साधन उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे कृषि में लागत कम किया जा सके। छोटे किसानों को मशीन उपलब्ध कराने हेतु अनुदान का प्राविधान किया जायेगा जिसका आर्थिक भार वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे एवं सीढ़ीदार खेतों के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों के विकास, उत्पादन एवं वितरण में अनुदान की व्यवस्था सीमित अवधि के लिए सुनिश्चित की जायेगी तथा आर्थिक भार वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

- पावर टिलर, थ्रेशर, सीडड्रिल जैसे छोटे यन्त्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा ट्रैक्टर एवं पशु चालित पन्तनगर जीरोटिल फर्टी–सीडड्रिल के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- बायोगैस प्लान्ट एवं बायोगैस चालित उन्नतिशील उपकरण तथा इन्जन इत्यादि पर विशेष बल दिया जायेगा।
- कृषि यंत्रों की सुगम उपलब्धता हेतु कस्टम सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी।

फसल सुरक्षा :

प्रदेश में सघन एवं निरन्तर खेती के कारण रोग एवं कीटों के प्रकोप में निरन्तर वृद्धि हो रही है इनमें से झोका, झुलसा, सफेद चूर्णा, एन्थ्रैकनोज, राइजोकटोनिया, स्मट, स्केब आदि बीमारियाँ तथा कुरमुला, कटवार्म, हैल्योथिस आदि कीट प्रमुख हैं।

- प्रदेश की पारिस्थतिकी को ध्यान में रखते हुए समेकित रोग एवं कीट के उचित प्रबन्धन हेतु समेकित रोग एवं कीट नियंत्रण पर बल दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत रोगरोधी प्रजातियों एवं जैविक नियंत्रण विधियों का विशेष स्थान रहेगा।
- रासायनिक नियंत्रण आवश्यकतानुसार ही अपनाया जायेगा।

कृषि विविधीकरण

प्रदेश में कृषि जोतों का आकार छोटा एवं बिखरा होने के कारण परम्परागत कृषि को नये व्यवसायों से प्रतिस्थापित करना, अधिकतम रोजगार एवं आय वृद्धि की दृष्टि से कृषि विविधीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत निम्न उत्पादन क्षेत्रों/व्यवसायों पर विशेष बल दिया जायेगा।

उत्तरांचल में कृषि विविधीकरण हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा:–

औद्यानिकी :

- पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार एवं नए बागों की स्थापना गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा नए बागों की स्थापना।
- फलोद्यानों का वैज्ञानिक प्रबन्धन, जिसमें नमी संरक्षण, पोषण, सिंचाई, कटाई–छटाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- फल संरक्षण हेतु प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जायेगी।
- कृषि जलवायु के आधार पर सेब, नाशपाती तथा गिरिदार फलों का क्षेत्र निर्धारित किया जायेगा तथा बगीचों की स्थापना हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
- परम्परागत सब्जी की फसलों–टमाटर, बैंगन, मिर्च तथा गैर परम्परागत सब्जी की फसलों जैसे परवल, फ्रेंचबीन, शिमला मिर्च आदि की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि की जायेगी।
- सब्जी की विदेशी प्रजातियों को उगाने एवं उनके उपयोग एवं वितरण की संभावनाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।
- बेमौसमी सब्जियों को अधिकाधिक फसल चक्रों में सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।

- सब्जियों की हाईब्रिड प्रजातियों का विकास कर उनका प्रसार किया जायेगा।
- आलू प्रदेश की मुख्य फसल होने के कारण उसकी उन्नतशील बीज एवं पौध सुरक्षा की सुनिश्चितता की जायेगी।
- व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायी फूलों जैसे कि गुलाब, कारनेशन, ग्लेडीओलाई, गेंदा, ट्यूबरोज, जरबेरा, आरकीड, लिलियम आदि के उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा इनके पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन पर विशेष बल दिया जायेगा।
- फूलों के निर्यात हेतु आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- पौध एवं बीज उत्पादन हेतु पालीहाउस, हॉटबेड आदि को अधिक प्रयोग में लाया जायेगा।
- शीतोष्ण बीजों के उत्पादन हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लुप्त प्राय औषधीय एवं सुगन्धित पौधों जैसे कि अतीस, मीठा, सालम मिश्री, सालम पंजा, पत्थर लौंग, ढोलू आदि के संरक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।
- आर्थिक रूप से लाभदायक औषधीय एवं सुगन्धित पौधे जैसे कि जीरेनियम, लैवेण्डर, क्लैरीसेज, पाईरेथ्रम, बुलगारियन रोज आदि की उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
- सुगन्धित पौधों से तेल निकालने हेतु प्रसंस्करण इकाइयों एवं इनके विपणन हेतु केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, काला जीरा, केसर, होप्स, अदरक, लहसुन, मेंथी की खेती पर विशेष बल दिया जायेगा।
- औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु भूमि प्रबन्धन तथा चकबन्दी द्वारा उत्पादन व्यवस्था को अधिक लचीला एवं प्रभावी बनाया जायेगा जिससे कि विश्व बाजार में प्रदेश के उत्पाद गुणवत्ता तथा कीमत में प्रतिस्पर्धी बन सकें। इसके अतिरिक्त पट्टे पर भूमि देने हेतु वैधानिक प्राविधान किया जायेगा।
- औद्यानिकी उत्पाद प्रसंस्करण तथा विपणन में आधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग सुनिश्चत किया जायेगा तथा उत्पादन, मांग एवं कीमतों के पूर्वानुमान हेतु शोध कार्यों पर बल दिया जायेगा।
- प्लास्टिक का उपयोग जैसे कि प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रीप, स्प्रिंकलर इरीगेशन, शेडनेट्स, ग्रीन हाउसेज, लो टनेल्स, एण्टी बर्डनेट्स, प्लास्टिक प्रोट्रेज, रूट ट्रेनर ट्रेज, हेलनेट्स, फर्टीगेशन आदि के रूप में कृषि एवं औद्यानिक फसलों में अत्यधिक उपयोगी पाया गया है। अतः इसके प्रयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

पशुपालन :

- पशुओं में नस्ल सुधार एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण एवं कृत्रिम गर्भाधान/नैसर्गिक प्रजनन पर व्यापक कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं उत्पादकता सुनिश्चित किया जायेगा।
- अच्छी नस्ल के सांड एवं वीर्य उत्पादन हेतु गोवंश एवं भैंस प्रजनन केन्द्रों की स्थापना तथा उनके वंशीय गुणवत्ता का अध्ययन किया जायेगा।
- पशु गणना, प्रबन्धन, उत्पादन एवं प्रजनन सम्बन्धी सूचनाओं का उचित संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा।
- सेवारत पशु चिकित्सकों एवं अन्य सहायकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जायेगा।
- पशुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक निवेशों की आपूर्ति, चिकित्सीय प्रबन्धन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- पशुओं में रोगों को नियंत्रित करने के कार्यक्रम में पशुपालकों, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र की सहभागिता से पशु रोग निदान सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- पशुओं में बांझपन एवं परजैविक रोगों के नियंत्रण हेतु कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन हेतु आवश्यक निवेशों का समुचित प्रबन्धन, कुक्कुट उत्पादों का विपणन एवं बैकयार्ड मुर्गी पालन के अन्तर्गत द्विउद्देशीय कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रदेश में अश्व एवं पैक एनिमल्स विकास हेतु उपयुक्त स्थान पर एक विशिष्ट केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) की स्थापना की जायेगी तथा इनके नस्ल सुधार, प्रजनन एवं विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।
- अंगोरा का उत्पादन प्रदेश में सीमित क्षेत्रों में ही हो पाया है। यद्यपि इसकी अधिक सम्भावनाएं हैं। अतः अंगोरा खरगोश पालन के विस्तार पर विशेष बल एवं उनके विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।
- भेड़, बकरी तथा सुअर पालन के प्रोत्साहन हेतु उत्तम नस्ल के जानवरों की आपूर्ति, आहार आपूर्ति, चिकित्सीय व्यवस्था तथा तकनीकी परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- दुग्ध व्यवसाय के प्रोत्साहन हेतु दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विकास, सघन मिनीडेरी परियोजना का विस्तार एवं विपणन ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा।
- विभिन्न पशु उत्पादों के भण्डारण एवं विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

चारा उत्पादन तथा चारागाह प्रबन्धन :

उत्तरांचल में चारे की विकट समस्या है, जहां पर 224 लाख टन चारे की जरूरत है, वहां केवल 83 लाख टन चारा उपलब्ध है। चारे की समस्या के निदान हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

- ऊँचे पहाड़ों पर शीतोष्ण चारागाह जिनका क्षेत्रफल लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर है, का संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा इन पर हो रही अनियमित एवं अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण किया जायेगा।
- घास एवं दलहनी प्रजातियों जैसे कि क्लोवर, टालफेस्क्यू आदि को तथा चारा वृक्ष जैसे कि शहतूत, भीमल एवं चमलाई आदि को लगाने पर ध्यान दिया जायेगा।
- निचली घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों में बरसीम, जई, चरी आदि के उत्पादन पर बल दिया जायेगा।
- मानव एवं पशुओं हेतु समान रूप से उपयोगिता वाली फसलों जैसे झगोरा, मक्का, मंडुवा आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों में चारे की विकट समस्या है। अतः प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कम्बाइन मशीन द्वारा कटाई के उपरान्त धान एवं गेहूँ की पुआल को फिल्ड बेलिंग मशीन द्वारा गट्ठर बनाकर एवं अमोनिया (यूरिया) से उपचारित कर भण्डारण हेतु "फाडर बैंक" की स्थापना तथा उसे "रेडी–टू–फीड" में परिवर्तित करने हेतु विभिन्न व्यवसायियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- चारे की फसलों की शीत सहनशील (कोल्ड टालरैंट) प्रजातियों का विकास किया जायेगा।

मत्स्य उत्पादन :

उत्तरांचल में विद्यमान वृहद जलक्षेत्र में मत्स्य उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में प्राप्त मत्स्य उत्पादन को अगले पांच वर्षों में दो गुने से अधिक बढ़ाया जा सकता है। मत्स्य पालन द्वारा उत्तरांचल की खाद्य समस्या एवं आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निम्न रणनीति होगी :–

- प्रदेश की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप मत्स्य पालन तकनीक का विकास कर उसे अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित किया जायेगा।
- मत्स्य पालन हेतु आवश्यक निवेशों जैसे मत्स्य बीज, आहार, तकनीकी परामर्श, विपणन, कूलचेन आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- कम ऊँचाई के क्षेत्रों में कार्प, मध्य ऊँचाई के क्षेत्रों में कार्प, महाशीर एवं स्नोट्राउट तथा अधिक ऊँचाई के जलक्षेत्रों में विदेशी ट्राउट के पालन का विकास किया जायेगा।

- उपयुक्त कृषि जलवायु के क्षेत्र में बहते हुए पानी में पूर्ण रूप से आहार पर आधारित सघन मत्स्य पालन तकनीकी को अपनाया जाएगा तथा उत्तरांचल में मत्स्य आहार बनाने के लिए 'फीड–मिल' का निर्माण किया जायेगा।
- नदियों में विलुप्त हो रही महाशीर प्रजाति की मात्स्यिकी के पुनर्स्थापन एवं विकास हेतु 'रिवर हैचिंग' तकनीक को अपनाया जाएगा। महाशीर के पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पादन के लिए हैचरी की स्थापना की जायेगी।
- उत्तरांचल में जलाशयों के रूप में तराई तथा उप–पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन हेतु वृहद जलक्षेत्र उपलब्ध हैं। इन जलाशयों में उत्पादन अगले पांच वर्षों में दो गुने से अधिक बढ़ाया जाएगा। इससे निर्धन वर्गों को संगठित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- उत्तरांचल में मत्स्य कुटीर उद्योग को महिला केन्द्रित कर प्रोत्साहित किया जायेगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नदियों एवं झीलों में मत्स्य आखेट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

मशरूम उत्पादन :

उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ एवं जलवायु विश्व में पायी जाने वाली मशरूम की लगभग सभी प्रजातियों के उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। खाद्यान्न उत्पादन में आयी स्थिरता के कारण पैदा हो रही कुपोषण की समस्या का मशरूम एक प्रमुख विकल्प है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का व्यवसायिक उत्पादन कर निर्यात किया जाय तो उल्लेखनीय रूप से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसको दृष्टिगत करते हुए मशरूम उत्पादन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा :–

- निर्यात को दृष्टिगत करते हुए उपयुक्त मशरूम प्रजातियों का विकास एवं उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कृषकों को गुणवत्ता स्पान व कम्पोस्ट आपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- उत्पादित मशरूम के प्रसंस्करण एवं विपणन का समुचित प्रबंधन किया जायेगा।
- प्रदेश में मशरूम निर्यात आधारित औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने हेतु ऋण, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी।

चाय :

उत्तरांचल राज्य में चाय की खेती की संभावनाओं को देखते हुए निम्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे :–

- चाय उगाने वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी।
- उपयुक्त कृषि तकनीक विकास हेतु अनुसंधान कार्य किये जायेंगे।
- पुराने चाय बागानों का जीर्णोद्धार तथा नये बागानों की स्थापना की जायेगी।

- चाय प्रसंस्करण की सुविधा का विकास किया जायेगा।
- चाय उत्पादों का कृषकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु योजना बनाकर उचित विपणन व्यवस्था की जायेगी।

मधुमक्खी पालन :

प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं वनस्पति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण मधुमक्खी पालन व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं। मधुमक्खी पालन से फलों एवं फसलों में अधिक परागण के कारण उत्पादन तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी और स्वरोजगार भी प्राप्त होगा। मधुमक्खी पालन प्रोत्साहन हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जायेगा :–

- मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण हेतु सुविधा तथा इसका प्रसार एवं प्रचार किया जायेगा।
- मधुमक्खी पालकों को कम ब्याज पर सरल तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- सामान्य या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में एपिस मेलाफेरा तथा ठण्डे क्षेत्रों में एपिस इण्डिका प्रजातियों का विकास किया जायेगा।
- विभिन्न मधुमक्खी उत्पादों का उचित मूल्य पर प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

रेशम कीट पालन :

प्रदेश की जलवायिक परिस्थितियाँ बड़े पैमाने पर रेशम उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। पर्वतीय क्षेत्र में वाईबोलटीन रेशम के उत्पादन की पर्याप्त सम्भावनाएं विद्यमान हैं। शहतूत की खेती तथा रेशम कीट पालन कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अनुपूरक व्यवसाय बन सकता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा :–

- शहतूत वृक्षारोपण में वृद्धि हेतु निजी फार्मों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- निजी रीलर्स एवं महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर आधुनिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- पैराटेक्निकल कर्मियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राविधिकी का प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा।
- कृषि ऋण योजना में रेशम उत्पादन व्यवसाय का समावेश किया जायेगा।
- रेशम एक्सचेंज केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- रेशम विकास अधिनियम बनाकर सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं का योगदान परिभाषित किया जायेगा।
- रेशम विकास कोष की स्थापना की जायेगी।

आधारभूत सुविधाएं, कृषि मूल्य एवं विपणन व्यवस्था

आवागमन एवं ऊर्जा :

- कृषि विपणन के लिए सड़कों एवं मण्डियों का निर्माण किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के साधन अत्यन्त सीमित हैं, अतः सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त जहाँ पर संभव होगा वहाँ पर रोपवे के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।
- कृषि एवं कृषि आधारित लघु उद्योगों जैसे मशरूम, मत्स्य उत्पादन, खरगोश पालन, मुर्गी पालन, रेशम, पुष्प उत्पादन, फल–सब्जी उत्पादन एवं प्रसंस्करण, औषधीय एवं सुगन्धित फसलों की खेती आदि को पर्याप्त बिजली की सप्लाई उचित दरों पर सुनिश्चित की जायेगी।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं विस्तार किया जायेगा तथा इसके उपयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- ग्रामीण विकास के लिए गांवों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया जायेगा तथा कृषि क्षेत्र की मांग को विश्वस्त व लागत प्रभावी तरीके से पर्याप्त रूप से पूरा किया जायेगा।
- नकदी फसलों विशेषतया सब्जियों, फलों, फूलों आदि को कीमत के उतार–चढ़ाव से उत्पन्न खतरों से रक्षा करने हेतु प्रदेश के उत्पादकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

कृषि आगत मूल्य नीति :

कृषकों को उचित मूल्य पर विभिन्न आगतों जैसे खाद, बीज, रसायन आदि को उपलब्ध कराया जायेगा तथा समय पर छोटी–छोटी मात्राओं में गांव स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी तंत्र का विकास किया जायेगा जिसमें सहकारी संस्थाओं की विशेष उपयोगिता होगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।

- फसल एवं पशुधन बीमा योजना को व्यवहारिकता के आधार पर ग्रहण किया जायेगा।

कृषि ऋण :

- प्रदेश के किसानों की कृषि ऋण आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि कार्यों के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निवेशों हेतु ऋण के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं तथा व्यावसायिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।
- स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे वे कृषि ऋण की पूर्ति में सहायक बन सकें। इसके लिए यथावश्यक सहकारी नियमों में संशोधन किया जायेगा।

- कृषकों को कृषि ऋण लेने एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग में सुगमता की दृष्टि से किसान पास बुक/क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को व्यापक बनाया जायेगा तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जायेगा।
- फसल ऋण, वित्तमान जिला स्तरीय समितियों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा जिसके अनुसार सहकारी सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषि क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र के समान अधिकतम लाभ, यानि ऋण एवं अन्य आदानों की सरलता से उपलब्धता, कृषि उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाएं तथा प्रभावी वितरण प्रणाली का विकास एवं कृषि उत्पादों के गमन को बंधनमुक्त करने का प्रयास किया जायेगा।

विपणन व्यवस्था :

उत्पादों, व्यवसाइयों तथा उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एकीकृत विपणन व्यवस्था, भण्डारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं यातायात के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- 'टर्मिनल मार्केट' व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिससे किसानों को वैकल्पिक विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
- कृषि उत्पादन मण्डियों का विनियमन एवं विकास किया जायेगा।
- प्रत्येक तहसील में कम से कम एक मण्डी स्थल का निर्माण/विकास किया जायेगा।
- मण्डी शुल्क की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जायेगा।
- पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्रामीण हाट/पैठ तथा पशु बाजारों में सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
- प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा प्रतिवर्ष न्यूनतम एक गांव को अवस्थापना सुविधाओं की दृष्टि से विकसित करने के लिए अंगीकृत किया जायेगा।
- मण्डी शुल्क की आय का दो तिहाई भाग संबंधित मण्डी समिति के क्षेत्र में निवेशित किया जायेगा।
- किसान पर्ची/मण्डी गेट पास पर आधारित पुरस्कार योजना का विकास किया जायेगा।
- फल–सब्जी मण्डियों तथा मत्स्य बाजारों में शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों का भण्डारण करने के लिए तथा अवशीतलन श्रृंखला (कूल चेन) स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मण्डियों के माध्यम से बखारियों के क्रय पर अनुदान का प्राविधान किया जायेगा जिसका वित्तीय वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।
- प्रमुख कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए यथोचित सुविधाओं की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- सुगम विपणन व्यवस्था के लिए कतिपय फसलों की खरीद हेतु अनुबंधित क्रय व्यवस्था को प्रोत्साहित तथा कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा।
- कृषि तथा औद्यानिक उत्पादों के मूल्यों तथा आवक के संबंध में सूचना तंत्र को अधिक गतिशील एवं व्यापक बनाने हेतु विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।
- कृषि जिन्सों के विपणन में उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहयोग हेतु बड़े पैमाने पर वर्गीकरण एवं उत्पादों की छनाई, सुखाई तथा छंटाई की उन्नत व्यवस्थायें स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मण्डी स्थलों तथा उप मण्डी स्थलों पर उचित मूल्य की प्रत्याशा में किसानों को अपना उत्पाद भण्डारित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- मण्डी परिषद् तथा गन्ना समिति से प्राप्त लाभांश धन का एक भाग अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यों के लिए सुनिश्चित किया जायेगा।
- कोऑपरेटिव पद्धति द्वारा दूध, ऊन तथा अण्डा का क्रय–विक्रय कराना, पशुमेला–हाट लगवाने का प्रबंध किया जायेगा।
- कृषि उत्पाद पर नियंत्रण एवं इसके विपणन से संबंधित कानूनों को उदार बनाया जायेगा।
- ऐसे अति आधुनिक प्रकोष्ठ (एग्रीनेट) की स्थापना की जायेगी जो निरन्तर विश्व बाजारों के उतार–चढ़ाव मांग आदि का अध्ययन कर किसानों को उचित सलाह दे सकेगी जिससे कृषक बाजार के अनुरूप अपने उत्पाद एवं फसलों में फेर बदल कर सकेंगे।
- खेती व कृषि व्यापार हेतु निजी भूमि पट्टे पर देने के लिए वैधानिक प्राविधान करके जोतों के आकार में वृद्धि करने की दृष्टि से पट्टा बाजारों का विकास किया जायेगा।

पर्यावरण संतुलन एवं कृषि उत्पादन में टिकाऊपन

कृषि वानिकी :

- सामाजिक एवं कृषि वानिकी को अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जायेगा।
- घाटी वाले क्षेत्रों में खैर, शीशम, शहतूत, मध्यम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भीमल, खड़िक, बाँझ (ओक), सैलिक्स, उत्तीस तथा अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में देवदार, फर, फुनैर आदि वन वृक्षों के रोपण पर जोर दिया जायेगा।
- सिविल सोयम एवं सामुदायिक भूमि पर ईंधन तथा चारा वाली फसलों एवं वृक्षों की प्रजातियों का रोपण किया जायेगा ताकि जंगल पर दबाव कम हो सके।
- पाइन नीडिल की जैविक अपघटन प्रक्रिया पर शोध कर इसके उपयोग का विकास किया जायेगा जिससे वनों की आग पर नियंत्रण हो सकेगा।

- संयुक्त वन प्रबन्धन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्र में अति वर्षा से भूस्खलन तथा क्षरण की दर भी अधिक है, इन्हें रोकने के लिए उचित उपाय किये जायेंगे।

आर्गेनिक फार्मिंग :

- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उर्वरकों का प्रयोग नगण्य है। दूसरी ओर जैविक खाद के स्रोतों का बाहुल्य है और आज भी इन क्षेत्रों में कृषि का मशीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को आर्गेनिक फार्मिंग क्षेत्र घोषित करते हुए इनके उत्पादों का प्रीमियम मूल्य दिलवाया जायेगा।

  इसके प्रोत्साहन हेतु शोध, प्रसार एवं प्रचार किया जायेगा, इसमें उपयोग होने वाली आगत सामग्री एवं उत्पादों के लिए मानक निर्धारित कर विपणन की व्यवस्था की जायेगी।

  आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जायेगा:—

जैव उर्वरकों का प्रयोग :

कृषि में जैव उर्वरकों का प्रयोग आज भी सीमित है जबकि यह न्यूनतम लागत के साथ नत्रजन की बचत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ है।

- जैविक खादों का उत्पादन, भण्डारण एवं उपयोग का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।
- जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए सशक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।
- आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत हरी खाद का प्रयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरी खाद वाली फसलों के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रेसमड, शहरी कूड़ा—कचरा आदि एवं अन्य पदार्थों के एकत्रीकरण, भण्डारण की समुचित व्यवस्था कर एवं उनके कम्पोस्ट रूप में उपयोग पर बल दिया जायेगा।
- वर्मीकल्चर का विस्तारीकरण किया जायेगा।

एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन :

- उत्तरांचल मृदाओं में फास्फोरस एवं सूक्ष्म तत्वों की प्रायः कमी है अतः उनकी कमी को दूर करने के लिए अकार्बनिक उर्वरकों के साथ समुचित विधि से तैयार किये गये कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- एकीकृत पादप पोषण द्वारा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पी0एस0एम0 (फास्फोरस सालुबुलाइजिंग माइकोजा) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
- धान के लिए नत्रजन उपलब्धता बढ़ाने के लिए अजोला एवं दलहनी फसलों में नत्रजन उपलब्धता बढ़ाने के लिए राइजोबियम का उपयोग बढ़ाया जायेगा।

बंजर भूमि प्रबंधन :

- पर्वतीय क्षेत्र में बंजर भूमि का क्षेत्रफल काफी है अतः इन क्षेत्रों के समुचित उपयोग के लिए विशेष प्रबंध हेतु योजना विकसित की जायेगी तथा इन कार्य को "इन्टीग्रेटेड वेस्टलैण्ड डेवलपमेन्ट स्कीम" के अन्तर्गत समुदायों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जायेगा।
- तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि कार्यों (खेती) को हतोत्साहित करते हुए उन्हें उपयुक्त वृक्षारोपण, फलोत्पादन एवं वनस्पति आच्छादन के अन्तर्गत लाया जायेगा।
- अम्लीय एवं क्षारीय भूमि को चिन्हित कर उनके विकास एवं उपयोग हेतु विशेष योजना बनाकर क्रियान्वित किया जायेगा।

कृषि उद्योग

- प्रदेश कृषि के परम्परागत होने के कारण अभी तक उसका व्यावसायिक स्वरूप नहीं मिल पाया है जबकि कृषि का विविधीकरण एवं व्यवसायीकरण करके हम रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों पर तथा विशेष उत्पादों पर आधारित शोध केन्द्रों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- ग्रामीण युवकों एवं उद्योगों को स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं के माध्यम से निवेशों की आपूर्ति, विपणन व्यवस्था एवं अन्य संस्थागत सुविधाएं विकसित की जायेंगी।
- कृषि आधारित लघु गृह उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जायेगा जिससे कृषि में उत्पादित वस्तुओं का प्रसंस्करण एवं उनके मूल्य संवर्धन का कार्य उत्पादन स्थल पर ही किया जा सके।
- क्षेत्रीय संसाधनों के सही उपयोग हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना की जायेगी जिसमें ऊन से बनाये गये उत्पाद जैसे थुल्मा व दन, पंखी, हस्तशिल्प, चटाई, रस्सी, टोकरियॉं, प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक वनस्पतियों के रेशे से निर्मित सामग्री को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- वनाधारित कच्चे माल को उपयोग में लाने के लिए इसे उद्योगों से जोड़ा जायेगा जिससे धनार्जन के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
- निजी क्षेत्रों में कृषि निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉण्ट्रैक्चुअल फार्मिंग, कारपोरेट फार्मिंग तथा सहकारिता पर आधारित कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा।

मानव विकास

कृषि शिक्षा :

- शिक्षा तथा पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक बनाने हेतु आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे। हार्टीकल्चर, बायोटेक्नोलोजी एवं सूचना तकनीकी कृषि के ऊपर विशेष बल दिया जायेगा।

- वानिकी शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।
- रोजगार परक प्रशिक्षण– मशरूम, मधुमक्खी पालन, रेशम की खेती, औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

कृषि अनुसंधान :

- स्थानीय जलवायु, सस्य दशाओं एवं जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता पर आधारित समस्यामूलक अनुसंधान को महत्व दिया जायेगा। ऐसे सभी कारकों, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं, का गंभीरता से अध्ययन एवं चिन्हित कर इन अवरोधकों का वैज्ञानिक हल प्राथमिकता के आधार पर ढूंढा जायेगा।
- अनुसंधान कार्यों में कृषि विविधीकरण को महत्व दिया जायेगा तथा प्रदेश के चारों खण्डों हेतु उपयुक्त फसलों, सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों, मसालों, चाय एवं जड़ी बूटियों को चिन्हित कर उन पर अनुसंधान कार्य किये जायेंगे।
- मशरूम के अनुसंधान पर विशेष बल दिया जायेगा।
- उत्तरांचल राज्य में औद्यानिक फसलों के विशेष प्रोत्साहन हेतु राज्य में अनुसंधान के लिए एक औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित फसलों पर अनुसंधान कार्य किये जायेंगे :–

आम	स्ट्राबेरी	लीची	चाय
आड़ू	सब्जियाँ	प्लम	हल्दी
खुबानी	अदरक	चेरी	मिर्च
अखरोट	आलू	पिकन	ग्लाइडियोलस
हैजल	ट्यूबरोज	चेस्टनट	लिलियम
सेब	कार्नेशन	नाशपाती	औषधीय एवं सुगन्धित पौधे

माल्टा जड़ी–बूटियाँ आदि।

- प्रदेश में एक "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ग्रीन हाउस टेक्नोलोजी" की स्थापना की जायेगी जिससे हाइटेक हार्टीकल्चर तथा पालीहाउस से संबंधित शोध, विकास एवं कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।
- पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त छोटे एवं मध्यम आकार के गाय एवं भैंसों की नस्लों के विकास पर शोध कार्य केन्द्रित किये जायेंगे।
- विभिन्न पशुओं के पोषण के मानकों का निर्धारण एवं उनके प्रमुख स्रोतों पर शोध कार्य किये जायेंगे।
- पशु स्वास्थ्य सुधार को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय परजीवियों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान एवं प्रबंधन पर शोध कार्य किये जायेंगे।

- पशुओं के सुधार संबंधी मानकों का निर्धारण किया जायेगा।
- फसलोत्पादन में लागत कम करने हेतु विशेष अनुसंधान कार्य किये जायेंगे।
- व्यावसायिक औद्यानिकी के अन्तर्गत प्रमुख फसलों को चिन्हित कर शोध कार्यों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

चावल की सुगन्धित प्रजातियों का विकास :

बासमती एवं अन्य सुगन्धित विशेषतया देहरादून बासमती, हंसराज, तिलक चन्दन, बिंदली एवं तपोवन बासमती जिनकी न केवल घरेलू बाजार में अत्यधिक मांग है अपितु निर्यात की भी प्रचुर संभावनायें हैं– के विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जायेंगे :–

- गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन।
- एकीकृत फसल प्रबन्धन विशेषतया जैव कृषि एवं सघन जैव नियन्त्रण विधियों का विकास।
- अधिक उपज एवं रोगरोधी किस्मों का विकास।
- उपयुक्त कृषि क्षेत्रों को चिन्हित कर समग्र विकास की रणनीति जिसमें उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं निर्यात हेतु संस्थागत ढांचे को विकसित करना।

कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण :

- विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।
- वर्तमान में उत्तरांचल में मात्र तीन कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं। बाकी दस जिलों में कृषि (उद्यान) विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी।
- उन्नत कृषि तकनीक के त्वरित प्रसार हेतु कृषक मित्रों को चिन्हित कर प्रशिक्षित करना तथा इनके माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण एवं सलाह देने की व्यवस्था की जायेगी।
- प्रत्येक जनपद के लिए एस0आर0ई0पी0 बनाया जायेगा तथा पी0आर0ए0 विधि से सर्वेक्षण के उपरान्त किसानों के खेतों/खलिहानों पर तकनीकी मूल्यांकन एवं परिष्करण का कार्य कर हर क्षेत्र को उसकी आवश्यकता/सक्षमता के अनुरूप कृषि तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु प्रसार किया जायेगा। अभी यह कार्य सिर्फ देहरादून एवं नैनीताल जनपदों में किया जा रहा है तथा ऊधमसिंह नगर में प्रारम्भ किया जा रहा है।
- कृषि प्रसार कार्यों को कृषि उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
- कृषक सहभागिता आधारित जल ग्रहण क्षेत्र विकास पर जोर दिया जायेगा।

- कृषि एवं ग्रामीण विकास में लगे राज्य सरकार के विभिन्न संस्था तथा विभाग के प्रसार अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में विकास हेतु विभिन्न अवधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- कृषक मण्डलों के माध्यम से खेती संबंधित समस्याओं का निदान एवं प्रसार पर जोर दिया जायेगा।
- प्रदेश की जिला स्तर की विकास योजनाओं के निर्धारण में पन्तनगर विश्वविद्यालय की तकनीकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- महिलाओं का पर्वतीय कृषि में विशेष योगदान है। इसलिए महिला आधारित कृषि प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।
- महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह गठित किया जायेगा।
- पर्वतीय महिलाओं के कार्यभार कम करने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक प्रयोग किया जायेगा।
- फलों के उचित भण्डारण, पैकिंग एवं प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।
- प्रदेश में स्थित गैर सरकारी संस्थानों के साथ विशेष समन्वय स्थापित कर प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ किया जायेगा।
- सेवानिवृत्त सैनिकों को कृषि संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर कृषि विकास एवं प्रसार में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- कृषि संबंधित कार्यक्रमों तथा नीति निर्धारण में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- मशरूम की खेती, रेशम एवं मधुमक्खी पालन में सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे और इसके लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- कृषि तकनीकी प्रसार हेतु दूरदर्शन पर एक चैनल या निश्चित समय के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित किया जायेगा।
- एफ एम रेडियो केन्द्रों की स्थापना की जाएगी तथा उन्हें कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबद्ध किया जायेगा।
- प्रदेश में वाह्यपोषित, केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित परियोजनाओं के समग्र संचालन हेतु संस्थागत सूचना, प्रशिक्षण एवं परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जायेगी।

कृषि क्षेत्र में परियोजनाओं का नियोजन एवं मूल्यांकन :

- कृषि विकास नीति, कृषि एवं संबंधित परियोजनाओं के नियोजन तथा मूल्यांकन एवं डाकूमेंटेशन हेतु गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर में एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

- कृषि परियोजनाओं एवं कृषि कार्यक्रमों के संचालन हेतु पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, वानिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के बीच तकनीकी सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

विश्व व्यापार

आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान एवं भविष्य के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल की कृषि के विविधीकरण के साथ ही साथ अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के प्रयास तीव्र किये जायेंगे।

इस हेतु निम्न को प्राथमिकता दी जायेगी :

- औद्यानिक विशेषतया फल, सब्जी, फूल, सुगन्धित एवं औषधीय पौधों के विकास पर बल दिया जायेगा।
- औद्यानिकी आधारित, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, वन आधारित उत्पाद इत्यादि में तुलनात्मक लाभ की स्थिति के निर्माण हेतु तकनीकी का विकास, प्रचार एवं प्रसार किया जायेगा।
- निर्यात योग्य सभी उत्पादों की उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु संस्थागत उपायों जैसे सड़कें, भण्डारगृह, छोटी–छोटी औद्योगिक इकाइयों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जायेगा।
- जो कृषि उत्पाद तुलनात्मक लाभ की स्थिति में हैं उनके निर्यात हेतु निर्यात प्रोसेसिंग जोन्स (इ0पी0जेड0) की उपयुक्त स्थलों पर स्थापना की जायेगी।
- छोटे–छोटे कृषकों को उनके उत्पाद का अधिक मूल्य प्राप्त हो सके तथा वे विश्व व्यापार के लाभों के भागीदार बन सकें, इसके लिये इन छोटे उत्पादकों के निर्यातक सहकारी समितियों के रूप में तथा पंजीकृत संगठनों में संगठित कर इन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।
- मुक्त व्यापार से किन फसलों को लाभ तथा किन फसलों को हानि की स्थिति हो सकती है तथा उनके लिये शासन स्तर पर क्या तैयारियां की जानी हैं, इसके लिये प्रायोजित अध्ययनों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- विशेष फसलों, फूलों, फलों, औषधीय एवं सगंध पौधों आदि को जो विश्व व्यापार हेतु उपयुक्त हों, को चिन्हित कर उनके विकास पर विशेष बल दिया जायेगा जिससे उन्हें विश्व व्यापार में लाया जा सके।
- विश्व व्यापारिक संगठन के नये प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निर्यात हेतु कृषि उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उच्च प्राथमिकता होगी जिसके लिए जैव तकनीक सम्भावनाओं का पूर्णतः उपयोग किया जायेगा।
- जैव कृषि तकनीक की संभावनाओं पर अनुसंधान किया जायेगा।
- जैव कृषि हेतु उपयुक्त फसलों का चुनाव एवं उनके प्रचार–प्रसार पर विस्तृत योजना बनाकर क्रियान्वित किया जायेगा।

एग्रोटेक पार्क की स्थापना :

- प्रदेश में एग्रोटेक पार्कों की स्थापना की जायेगी जिसमें व्यवसायिक फल, फूल, सब्जी, औषधीय एवं सगंध पौधों के उत्पादन, संरक्षण, प्रसंस्करण, भण्डारण, विपणन, कूल चेन आदि की आधारभूत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

जैव विविधता का संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण

उत्तरांचल का विशाल पर्वतीय क्षेत्र अपनी वनस्पति विविधता की समृद्धि के लिए अलग पहचान रखता है। यहाँ की वनस्पति औषधीय तथा सुगन्धित प्रजातियों से भरपूर है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि वनस्पति का अत्यधिक शोषण होने के कारण कुछ अमूल्य औषधि तथा सुगन्धित पौधे लुप्त होने के कगार पर हैं। इन बहुमूल्य वनस्पतियों का संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न उपायों जैसे—स्थानीय सहभागिता, महिला जागृति एवं प्रशिक्षण, अनुसंधान, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सुनिश्चित किया जायेगा। अनुसंधान में जिन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जा सकता है, उनमें वनस्पतियों के संरक्षण के तौर–तरीके, वांछित जीनों के प्रथकीकरण एवं क्लोनिंग उल्लेखनीय हैं।

- उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण लुप्त प्राय औषधीय एवं सुगन्धित पौधों जैसे कि अतीस, मीठा, सालम मिश्री, सालम पंजा, पत्थर लौंग, डोलू आदि के संरक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।
- लुप्त प्राय पौधों के संरक्षण एवं व्यवसायिक दृष्टि से उपयोगी पौधों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग किया जायेगा तथा जनन द्रव्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- जैव संरक्षण की योजना तैयार कर क्रियान्वित किया जायेगा।

प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण देने तथा जैविक खेती एवं जैविक कीट एवं बीमारियों के प्रभावी नियन्त्रण के लिये आवश्यक होगा कि प्रचुर मात्रा में जैव नियन्त्रकों (बायो कन्ट्रोल एजेन्ट) का उत्पादन किया जाय तथा इसके समुचित उपयोग हेतु प्रभावी विपणन व्यवस्था का विकास हो। प्रदेश में इस दिशा में छोटी–छोटी औद्योगिक उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने में प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा इस दिशा में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी :—

- पशुओं में प्रजनन संवर्द्धन तथा पशु चिकित्सा क्षेत्र में विकसित जैव तकनीकों का उत्पादन एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विकसित कारकों/निवेशों का उत्पादन एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।
- विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त जैविक नियंत्रण हेतु निवेशों का उत्पादन एवं वितरण किया जायेगा।

- माइक्रोप्रोपेगेशन तकनीकी का विकास, प्रसार एवं प्रचार किया जायेगा।
- फसलों में शीत सहनशीलता (कोल्ड टालरैन्स) हेतु जीन समावेश पर अनुसंधान किया जायेगा।
- कीट एवं रोगरोधी फसल प्रजातियों का विकास किया जायेगा।

बीज एवं पौध उत्पादन

- उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यानों, व्यवसायिक फसलों, फल–सब्जी, फूल, कन्द, सुगन्धित एवं औषधीय पौधों, चाय तथा चारे की फसलों के महत्व को देखते हुए इनके एवं वानिकी फसलों के श्रेष्ठ गुणवत्ता सम्पन्न उन्नत किस्म के बीज एवं पौध के विकास के लिये शोध कार्यक्रम एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इस क्षेत्र में कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु विशेष सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
- बीज उत्पादन योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।
- निजी क्षेत्र में रोपण हेतु आधुनिक पौध नर्सरी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रजनक तथा आधारीय बीज की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों की फसलों के बीज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- उन्नतशील बीज उत्पादन हेतु किसानों को सम्मिलित कर 'बीज गांवों' की स्थापना की जायेगी।
- प्रजनक तथा आधारित बीज की आवश्यकता पूरी करने के लिए बीज उत्पादन हेतु सरकारी फार्मों को सबल बनाने के साथ–साथ निजी स्रोतों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
- उन्नत किस्म के बीजोत्पादन एवं उनके निर्यात की सम्भावनाओं पर योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जायेगा।

कृषि निदान (पॉलिक्लीनिक) केन्द्रों की स्थापना

- निजी क्षेत्र में विशेषतया स्नातकों को कृषि पॉलिक्लीनिकों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- प्रत्येक किसान मित्र को उर्वरकों की गुणवत्ता की त्वरित जाँच के लिये टेस्ट किट उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषि परातकनीशियन को मृदा परीक्षण कार्य में प्रशिक्षण देकर, मृदा परीक्षण उपकरणों के क्रय हेतु ऋण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए जनपद स्तर पर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी।

- प्रत्येक गांव के पूरे कृषि क्षेत्र का मृदा परीक्षण करते हुए प्रत्येक 5 वर्ष में इसे आद्यावधि कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा सभी गांवों का उर्वरता मानचित्र तैयार किया जायेगा। मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को यथोचित परामर्श दिया जायेगा।
- प्रत्येक जनपद में सशक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी तथा किसानों की भागीदारी से मृदा परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जायेगा।
- उर्वरक/कृषि रक्षा रसायन परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा इनकी संख्या में वृद्धि की जायेगी।

गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग

उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्र (ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल) में गन्ना एक मुख्य फसल है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.14 लाख है0 है तथा इस क्षेत्र में 10 चीनी मिल हैं। गन्ने का कुल उत्पादन 69.93 लाख मी0 टन तथा उत्पादकता 624 कु0/है0 है। इस क्षेत्र में गन्ने की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। शीघ्र पकने वाली अधिक उत्पादनशील प्रजातियों की भी जरूरत है। इसी प्रकार सम्पूर्ण बोआई क्षेत्र में स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रदेश की कृषि नीति निम्नवत् होगी :–

- गन्ना मिलों से सम्बद्ध आरक्षित क्षेत्रों में बीज के प्रतिस्थापन के लिए बीज सम्बर्द्धन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- गन्ने की नई प्रजातियों के विकास एवं सम्वर्द्धन के लिए अधिक शर्करा युक्त, शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उत्पादकता वाली रोगरोधी प्रजातियों का विकास, टिश्यू कल्चर एवं पॉलीबैग विधि को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- चीनी मिलों के फार्मों पर बीज सम्वर्द्धन कार्यक्रमों में मिलों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
- गन्ना विकास से संबंधित समस्त कार्य जैसे बीज सम्वर्द्धन एवं निवेशों की आपूर्ति, गन्ना क्रय, मिलों एवं गन्ना उत्पादकों के बीच सामंजस्य तथा तकनीकी परामर्श आदि हेतु गन्ना मिलों का कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रदेश में गन्ना क्षेत्र मुख्यतया तराई में केन्द्रित है जहां जल प्लावन की समस्या अधिक होने के कारण उत्पादकता कम है इसलिए जल प्लावित क्षेत्रों में उपयुक्त किस्मों का विकास किया जायेगा।
- गन्ने में कीट नियंत्रण हेतु जैविक तकनीकी का विकास, जैविक कीटनाशियों का व्यावसायिक उत्पादन एवं प्रसार को विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- प्रेसमड के कम्पोस्ट पर अनुसंधान, तकनीक विकास एवं प्रचार–प्रसार को सुदृढ़ किया जायेगा।
- चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण किया जायेगा।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0–90 का उत्तर पीछे पृष्ठ–64 पर)

ट्रेड–मशीनिस्ट

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	0336						80.66	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
2.	0754						71.33	
3.	1351						70.83	
4.	0981						68.5	
5.	0388						68.2	
6.	0724						68.16	
7.	1516						68.16	
8.	327						67.33	
9.	1270						67.16	
10.	147						67.16	
11.		0477					66.66	
12.			0411				65.0	
13.			0473				64.83	
14.		0161.					64.66	
15.			1120				61.5	
16.		0454					61.16	
17.					1051		51.0	
18.				1326			50.0	

ट्रेड–विद्युतकार

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	0436						70.6	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
2.	1510						67.28	
3.	1423						65.83	
4.	389						64.4	
5.	200						64.33	
6.	342						64	

ट्रेड–विघुतकार

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
7.	100						62.83	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
8.	1481						62.16	
9.	1272						61.83	
10.	250						61.66	
11.	1097						61.5	
12.	1346						61.16	
13.	199						61.16	
14.	219						61.16	
15.		501					60.16	
16.			163				60	
17.			858				60	
18.		713					60	
19.			475				59.66	
20.		1279					58.83	
21.			0029				58.66	
22.			968				58	
23.						690	54.83	
24.	984						56.33	
24A.		1583					61.5	

ट्रेड–फिटर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	563						69.2	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
2.	1482						68.5	
3.	1308						66.16	
4.	148						66.0	
5.	75						64.83	
6.	1616						64.33	
7.	157						62.5	
8.	0034						62.16	

ट्रेड–फिटर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
9.	160						61.83	
10.	458						61.66	
11.	1146						61.0	
12.	528						61.0	
13.	892						60.83	
14.	1297						60.75	
15.	346						60.66	
16.	320						60.5	
17.	64						60.33	
18.	805						60.16	
19.	862						60.16	
20.	1533						60.16	
21.	1600						60.6	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
22.	1134						60	
23.	0479						60	
24.	0073						59.66	
24A.	0252						59.33	
25.	629						59.16	
26.	1652						58.83	
27.	1044						58.83	
28.	1604						58.66	
29.		696					58.66	
30.			415				58.5	
31.		399					58.5	
32.		78					58.33	
33.			872				58.33	
34.			1340				58.16	
35.			1177				58.0	
36.		0153					58.0	
37.		0041					57.83	
38.			760				57.5	
39.		569					57.33	

ट्रेड–फिटर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
40.			1127				57.33	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
41.		1618					57.16	
42.			1284				57.0	
43.			1071				57.0	
44.			951				56.83	
45.						1288	53.66	
46.					54		52.5	
47.				0042			50.16	
48.				273			47.00	

ट्रेड–टर्नर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	1463						66.33	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
2.	1530						62.66	
3.	329						60.16	
4.	407						59.33	
5.	803						59.16	
6.	699						58.66	
7.	1022						58.16	
8.	287						58.16	
9.	0022						58.16	
10.	1213						58.16	
11.			808				57.5	
12.		1038					57.16	
13.		0026					57.16	
14.			1416				57.16	
15.			1436				56.66	
16.		680					56.5	
17.					1034		47.16	
18.				792			45.16	

ट्रेड-इलैक्ट्रोनिक्स मै0

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	1454						66	
2.	1248						65.34	
3.	1095						65.0	
4.	906						63.16	
5.	1567						63	
6.	1575						62.33	
7.	1583						61.5	विद्युत मै0
8.	1647						61.16	
9.	818						59.5	
10.	1367						59.33	
11.	46						58.66	
12.	179						58.66	
13.	412						57.83	
14.	1106						57.83	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
15.			825				57.66	
16.		955					57.16	
17.			838				57.16	
18.					1450		56.16	
19.			466				55.83	
20.			1135				55.66	
21.			1256				55.5	
22.		424					54.83	
23.		314					54.66	
24.	712						50.5	
24A.					1501		51.0	

ट्रेड–ड्राफ्ट्समैन मै0

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सी0आ0	प्रतिशत	
1.	1246						65.83	
2.	572						62.83	
3.	258						62.83	
4.	180						62	
5.	460						61.33	
6.	508						59.0	
7.	739						58.5	
8.	1315						57.16	
9.	1546						56.8	
10.	1296						56.8	
11.	269						56.5	
12.	1216						56.33	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
13.	115						56.16	
14.	1014						56.0	
15.			797				55.83	
16.			464				55.66	
17.		1650					55.5	
18.			790				55.5	
19.		1231					55.16	
20.		996					55.16	
21.			1050				54.5	
22.			503				52.83	
23.					1261		52.5	
24.	0040						55.66	

ट्रेड–रेडियो एण्ड टी0वी

क्र0 सं0	सामान्य श्री0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	1387						56.33	
2.	673						56.33	
3.	1039						56.16	
4.	1541						55.5	
5.	1465						55.16	
6.	1586						53.66	
7.	1400						53.5	
8.	1417						53.16	
9.	1497						52.83	
10.	1384						52.83	
11.	976						52.66	
12.	525						52.66	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
13.	169						52.33	
14.	1042						51.83	
15.		003					51.66	
16.		292					51.5	
17.			489				51.33	
18.		652					51.16	
19.			861				50.66	
20.			809				50.16	
21.			106				49.66	
22.					899		49.66	
23.			1112				48.66	
24.		791					51.16	

ट्रेड–मोल्डर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	1505						51.83	
2.	1104						48.00	
3.	1298						47.16	
4.	1207						46.33	
5.								टर्नर में हो जाने के कारण
6.	1299						45.00	एस0/टी0
7.	0913						44.66	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
8.	1504						43.5	
9.	1503						43.16	
10.	1172						42.16	
11.	1281						42.00	
12.	0681						41.16	
13.		540					40.8	
14.			146				40.66	
15.			032				40.66	
16.		1453					39.42	
17.		1194					39.00	
18.			613				31.83	
19.		543					38.5	

ट्रेड–वैल्डर

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0सी0	एस0सी0	एस0टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	
1.	655						62.66	छात्राओं का प्रवेश नहीं है
2.	1088						62.0	
3.	217						58.0	
4.	1658						57.66	
5.	136						57.6	
6.	645						57.5	
7.	50						57.33	
8.	706						57.2	
9.	004						57	
10.	447						56.83	
11.		1666					56.83	
12.		203					55.0	
13.			229				55.0	
14.		840					54.66	
15.			1180				54.5	
16.			627				54	
17.					753		50.83	
18.				43			45.5	

ट्रेड-आशुलिपिक (हिन्दी)

क्र0 सं0	सामान्य जी0	बी0 सी0	एस0 सी0	एस0 टी0	विक0	सै0आ0	प्रतिशत	महिला	महिला का नाम
1.	0811						78.8	√	नेहा भारद्वाज
2.	1063						70.2		
3.	0496						69.7	√	कु0 कामिनी
4.	1339						69.6	√	कु0 सुरेखा
5.	0820						65.0		
6.	0498						64.0	√	नीरिजा पाल
7.	0198						62.2	√	कु0 अनामिका सिंह
8.	0028						62.7		
9.	1043						61.7	√	सुलोचना देवी
10.	1630						61.4	√	प्रिया राठौड़
11.	1103						60.8		
12.	0220						60.0		
13.	1260						59.4		
14.	0248						59.2		
15.			0079				52.4		
16.			0212				52.4		
17.			1558				51.2	√	सविता कुमारी
18.			1173				56.3		
19.			0383				50.4		
20.		959					58.9		
21.		394					55.1		
22.		1148					56.5		
23.	918						58.2		
24.	1289						57.6	√	कु0 राजबाला सैनी

ट्रेड–आशुलिपिक (हिन्दी)

प्रतीक्षा सूची–I

क्र0 सं0	सामान्य	पि0व0	अ0जा0	अनु0 जनजाति	विक0	सै0आ0	प्रतिशत %	महिला	महिला का नाम
1.	0619						57.0	√	कु0 प्रज्ञा धीमान
2.	0917						55.0		
3.	1066						54.4		
4.	1606						54.0		
5.	0502						53.8		
6.	0177						53.4		
7.	0432						52.6		
8.	1546						52.4	√	कु0 तनूजा बर्थवाल
9.			0287				48.8		
10.			0664				48.4		
11.			0756				48.2		
12.		1500					52.2		
13.		0776					51.2		
14.		1156					49.0		
15.		0961					47.6		

ट्रेड–आशुलिपिक (हिन्दी)

प्रतीक्षा सूची–II

सामान्य वर्ग–01 सीट

क्र0 सं0	पंजीकरण संख्या	प्रतिशत	महिला	महिला का नाम
1.	0956	51.6	√	कु0 पूनम चतुर्वेदी
2.	1314	51.6	√	कु0 रश्मी शर्मा
3.	1360	51.2		
4.	1398	51.2	√	कु0 राखी रानी

नोट– 1. महिलाओं के ज्वाइनिंग का प्रतिशत– 36.3%

2. चयन का प्रतिशत– 68.18%

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 विधान सभा/482–22–2–2005–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।